



INDIA NON JUDICIAL



111

Government of Uttar Pradesh

IN-UP35111129429992V

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP35111129429992V ✓

Certificate Issued Date : 06-Oct-2023 04:55 PM

Account Reference : NEWIMPAGG (SV)/ up14148004/ SOHAWAL/ UP-FZB

Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1414800465992959102366V

Purchased by : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA

Description of Document : Article 23 Conveyance

Property Description : GATA NO-124 KHA AND OTHERS MAUJA-BIROZPUR UPARHAR PAR-MAGALS( TEH-SOHAWAL DISTT-AYODHYA

Consideration Price (Rs.) :

First Party : AFARQJ SO MOHD YAR AND OTHERS

Second Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA

Stamp Duty Paid By : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA

Stamp Duty Amount(Rs.) : 84,910  
(Eighty Four Thousand Nine Hundred And Ten only)



Please write or type below this line

افروز خان

مفتاح



  
 उप साचव  
 अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

0013443526

Statutory Alert:

1. The authenticity of the e-Stamp certificate can be verified at [www.ayodhya.gov.in](http://www.ayodhya.gov.in) or using e-Stamp Mobile App or through Printing Any, accordingly to the details on this Certificate and as available on the Website / Mobile App concern e-Stamp.
2. The issue of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.





Image 2023-10-03 at 11.2

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

اسرارہ خان

## विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समय विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम -फिरोजपुर उपरहार ÷, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल , अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण- .....

| गाटा संख्या | गाटा की यूनिट आई.डी. | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
|-------------|----------------------|--------------------------|
| 124 ख       | 1662690124000112     | 0.0460                   |
| 162 मि0     | 1662690162000012     | 0.1010                   |

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.07350 हेक्टेयर

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी-

| गाटा संख्या | विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | पूरब                          | पश्चिम                | उत्तर           | दक्षिण          |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 124 ख       | 0.0230                           | गाटा संख्या-131 व चकमार्ग 132 | गाटा संख्या-123       | गाटा संख्या-125 | गाटा संख्या-133 |
| 162 मि0     | 0.0505                           | गाटा संख्या-165               | गाटा संख्या-163 व 157 | गाटा संख्या-161 | गाटा संख्या-164 |



محمد قاسم



اسرارہ خان

उप निबन्धक  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



1918

1918

1918

## 7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

| गाटा संख्या | विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | विक्रेता का नाम         | पिता/पति का नाम          | विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में) | भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का (रु0 हेक्टेयर) (सर्किल दर का 4 गुना) | प्रतिफल की धनराशि |
|-------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|-------------------|
| 1           | 2                                | 3                       | 4                        |                                | 7   | 8                 |
| 124 ख       | 0.0230                           | मो0 कदीर उर्फ मो0 कादिर | मोहम्मद यार उर्फ यारनो   | 0.0115                         | 2,53,000.00   | 2,53,000.00       |
|             |                                  | अफरोज उर्फ अफरोज खान    | मोहम्मद यार उर्फ यार खान | 0.0115                         | 2,53,000.00   | 2,53,000.00       |
| 162 गि0     | 0.0505                           | मो0 कदीर उर्फ मो0 कादिर | मोहम्मद यार उर्फ यारनो   | 0.02525                        | 3,53,500.00   | 3,53,500.00       |
|             |                                  | अफरोज उर्फ अफरोज खान    | मोहम्मद यार उर्फ यार खान | 0.02525                        | 3,53,500.00   | 3,53,500.00       |
|             |                                  |                         | योग-                     | 0.07350                        | 12,13,000.00  | 12,13,000.00      |

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु0 84,910.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण -

| विक्रेता का नाम         | पिता/पति का नाम          | आधार संख्या  | पैन कार्ड संख्या | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता                             |
|-------------------------|--------------------------|--------------|------------------|--------------|---------|---------------------------------|
| 1                       | 2                        | 3            | 4                | 5            | 6       | 7                               |
| मो0 कदीर उर्फ मो0 कादिर | मोहम्मद यार उर्फ यारनो   | 835528593196 | EOKPK1114P       | 9936846543   | कृषि    | फिरोजपुर उपरहार सोहावल, अयोध्या |
| अफरोज उर्फ अफरोज खान    | मोहम्मद यार उर्फ यार खान | 736822232669 |                  | 9082305339   | कृषि    | फिरोजपुर उपरहार सोहावल, अयोध्या |

10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण-

| क्रेता का नाम  | पिता/पति का नाम | आधार संख्या | पैन कार्ड संख्या | मोबाइल नम्बर | पदनाम                                   | पता                              |
|--|-----------------|-------------|------------------|--------------|---|----------------------------------|
| 1  | 2               | 3           | 4                | 5            | 6                                       | 7                                |
| अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज, उपसचिव, अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। | श्री शरद कुमार  | -           | AAALA02 06C      | 7607778911   | उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। | अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। |

محمد قاسم

افروز خان

उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 / 1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।
- झ- गाटा संख्या-कै मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।



افروز خان محمد قادر

उप मुखिय  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



12- भुगतान का विवरण -

| क्र<br>0 | विक्रेता का<br>नाम           | पिता/पति<br>का नाम             | बैंक का नाम<br>/ शाखा का<br>नाम | IFSC Code      | खाता संख्या    | धनराशि              |
|----------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 1        | 2                            | 3                              | 4                               | 5              | 6              | 7                   |
| 1        | मौ० कदीर<br>उर्फ मौ०<br>कदिर | मोहम्मद<br>यार उर्फ<br>यारमो   | Baroda<br>U.P. Bank             | BARB0BUPGBX    | 55300100022647 | 606500.00           |
| 2        | अफरोज उर्फ<br>अफरोज खान      | मोहम्मद<br>यार उर्फ<br>यार खान | Baroda<br>U.P. Bank             | BARB0BUPGBX    | 55300100022646 | 606500.00           |
|          |                              |                                |                                 | <b>Total :</b> |                | <b>12,13,000.00</b> |

कुल धनराशि शब्दों में- ( बारह लाख तेरह हजार रुपये मात्र )

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटियश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवाश में निम्नलिखित दो गवोहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।





उप सचिव  
अर्थोन्नति विभाग प्राधिकरण, अयोध्या

112



112

112



14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

| नाम       | पिता/पति का नाम    | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता                              |
|-----------|--------------------|--------------|---------|----------------------------------|
| ओम प्रकाश | स्व0 राजबली प्रसाद | 7607778903   | नौकरी   | अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। |

द्वितीय साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

| नाम   | पिता/पति का नाम | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता   |
|-------|-----------------|--------------|---------|---|
| अरमान | रहमत उल्ला      | 7275326040   | कृषि    | फिरोजपुर उपरहार, चिरा मोहम्मदपुर, सोहावल, अयोध्या |



शासनादेश संख्या -रा संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी /भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात

प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात भूस्वामी कहा गया है) और:

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।

और चूंकि भूस्वामी अग्रतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवद्ध कोई बात या भूवद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी शर्तें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-





अरमान  
अरमान

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



• भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

| क्र० सं० | नाम                     | पिता/पति का नाम          | पता                             | हस्ताक्षर   |
|----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|
| 1        | 2                       | 3                        | 4                               | 5   |
| 1        | मो० कदीर उर्फ मो० कादिर | मोहम्मद यार उर्फ यारमो   | फिरोजपुर उपरहार, सोहावल अयोध्या |  |
| 2        | अफरोज उर्फ अफरोज खान    | मोहम्मद यार उर्फ यार खान | फिरोजपुर उपरहार, सोहावल अयोध्या |  |

गवाह / अभिसाक्षी

| नाम        | पिता/पति का नाम    | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता                              | हस्ताक्षर |
|------------|--------------------|--------------|---------|----------------------------------|-----------|
| 1          | 2                  | 3            | 4       | 5                                | 6         |
| जोम प्रकाश | स्व० राजबली प्रसाद | 7607778903   | नौकरी   | अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। |           |

गवाह / अभिसाक्षी

| नाम   | पिता/पति का नाम | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता   | हस्ताक्षर   |
|-------|-----------------|--------------|---------|---|---|
| 1     | 2               | 3            | 4       | 5   | 6   |
| अरमान | रहमत खस्ता      | 7275326040   | कृषि    | फिरोजपुर उपरहार, पिरत मोहम्मदपुर, सोहावल, अयोध्या |  |

  
क्रय निकाय की ओर से अधिकृत,  
(स्वर्णिप राज)  
उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण,  
अयोध्या।

  
  
मोहम्मद यार  
अफरोज खान

  
उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007992

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6543

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 1213000 स्टाम्प शुल्क- 84910 बाजारी मूल्य - 1213000 पंजीकरण शुल्क - 12130 प्रतिनिधिकरण शुल्क - 60 योग: 12190

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा  
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,  
पुत्र श्री शरद कुमार  
व्यवसाय: नौकरी  
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या



श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

स्वर्णिम राज अधिकृत  
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 06/10/2023 एवं  
05:36:20 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र०  
उप निबंधक :सोहायल  
अयोध्या  
06/10/2023

निबंधक लिपिक  
06/10/2023

प्रिंट करें



- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्वय रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रय निकाय/राज्य सरकार को (समुक्त: और पृथक्कत:) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके भोरा धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।
- (6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।
- (7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
- (8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।
  - (i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।
  - (ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
  - (iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।



محمد قاسم



امروز خان

उप अधिकारी  
असोज विकास प्रशासन, असोज

श्री अरमान , पुत्र श्री रहमत उल्ला

निवासी: फिरोजपुर उपरहार, विर्सा मोहम्मदपुर तहसी सोहावल  
अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र०  
उप निबंधक : सोहावल  
अयोध्या  
06/10/2023

निबंधक लिपिक अयोध्या  
06/10/2023

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार  
लिए गए है।  
टिप्पणी :

प्रिंट करें



## अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

| खाता सं० | खसरा सं० | विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए) | भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में) | भूमि पर खड़ी फसल |  |
|----------|----------|----------------------------------|---|--|------------------|--|
|          |          |                                  |   |  | विवरण            | मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में) |
| 01       | 02       | 03                               | 04  | 05   | 06               | 07                                     |
| 73       | 124 व    | 0.0230                           | -   | 5,06,000.00                                    | -                | -                                      |
| 73       | 162 कि०  | 0.0505                           | -   | 7,07,000.00                                    | -                | -                                      |

| भूवद्द अन्य सम्पत्ति का विवरण |  | देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9) | व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण |                          |                                 |
|-------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|
| विवरण                         | मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में) |                                  | नाम   | पिता/पति का नाम          | पता                             |
| 08                            | 09                                       | 10                               | 11  |                          |                                 |
| -                             | -  | 6,06,500.00                      | मो० कबीर उर्फ मो० कादिर   | मोहम्मद यार उर्फ यारमी   | फिरोजपुर उपरहार सोहावल, अयोध्या |
| -                             | -  | 6,06,500.00                      | अफरोज उर्फ अफरोज खान  | मोहम्मद यार उर्फ यार खान | फिरोजपुर उपरहार सोहावल, अयोध्या |

नोट :- मैने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।



उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

امروز ۰۶ محرم ۱۴۴۰ھ

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6543

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद चुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त विक्रेता: 1

श्री मो कदीर उर्फ मो कादिर, पुत्र श्री मोहम्मद यार उर्फ यार मो

निवासी: फिरोजपुर उपरहार, तह0 सोडावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 2

محمد یار



श्री अफरोज उर्फ अफरोज खान, पुत्र श्री मोहम्मद यार उर्फ यार खान

निवासी: फिरोजपुर उपरहार, तह0 सोडावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

क्रेता: 1

افروز خان



श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1



श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबली प्रसाद

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2

Om Prakash



Handwritten signature

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु धननित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का दिवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

| गाटा सं० | विक्रेता का नाम         | पिता/पति का नाम          | विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल | शपथकर्ता के हस्ताक्षर |
|----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1        | 2                       | 3                        | 4                                 |                       |
| 124 ख    | मो० कदीर उर्फ मो० कादिर | मोहम्मद यार उर्फ यारमो   | 0.0115                            | محمد قادر             |
|          | अफरोज उर्फ अफरोज खान    | मोहम्मद यार उर्फ यार खान | 0.0115                            | امروز خان             |
| 162 गि०  | मो० कदीर उर्फ मो० कादिर | मोहम्मद यार उर्फ यारमो   | 0.02525                           | محمد قادر             |
|          | अफरोज उर्फ अफरोज खान    | मोहम्मद यार उर्फ यार खान | 0.02525                           | امروز خان             |

निष्पादन का दिनांक:- 06/10/23  
स्थान - सोहावल, अयोध्या।



محمد قادر

امروز خان

उपस्थित  
अयोध्या विकास एजेंडर, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007992

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3151 के पृष्ठ 367 से 386 तक क्रमांक  
6543 पर दिनांक 06/10/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
प्रदीप कुमार प्र०  
उप निबंधक : सोहावल  
अयोध्या  
06/10/2023





INDIA NON JUDICIAL



112

Government of Uttar Pradesh

IN-UP34359022413556V

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP34359022413556V  
 Certificate Issued Date : 06-Oct-2023 12:05 PM  
 Account Reference : NEWIMPAGG (SV)/ up14148004/ SOHAWAL/ UP-FZB  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1414800484372118024185V  
 Purchased by : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Description of Document : Article 23 Conveyance  
 Property Description : GATA NO-84 AND OTHERS MAUJA-FIROZPUR UPABHAR PAR-MAGALS I TEH-SOHAWAL DISTT-AYODHYA  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : RAM CHANDER SO BAGCHU LAL AND OTHERS  
 Second Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Stamp Duty Paid By : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 2,35,970  
 (Two Lakh Thirty Five Thousand Nine Hundred And Seventy only)



Please write or type below the line

रामचन्द्र

शुभलाल

दीपमाला



Signature

Signature



उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

RD 0013443515

Statutory Alert:

1. The authenticity of the e-Stamp certificate should be verified on [www.e-stamp.gov.in](http://www.e-stamp.gov.in) or using e-Stamp Mobile App or Book Having QR Code/Link of the e-Stamp and is available on the website / Mobile App under the name.
2. The trust or checking the validity is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.





### विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु वयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम -फिरोजपुर उपरहार ÷, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल , अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण- .....

| गाटा संख्या | गाटा की यूनिट आई.डी. | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
|-------------|----------------------|--------------------------|
| 84          | 1662690084000012     | 0.0820                   |
| 85          | 1662690085000012     | 0.1070                   |
| 86          | 1662690086000012     | 0.1320                   |

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.0615, 0.08025 व 0.099 हेक्टा

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

| गाटा संख्या | विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | पूरब     | पश्चिम        | उत्तर    | दक्षिण    |
|-------------|----------------------------------|----------|---------------|----------|-----------|
| 84          | 0.0615                           | गा0सं-86 | गा0सं-123     | गा0सं-83 | गा0सं-85  |
| 85          | 0.08025                          | गा0सं-86 | गा0सं-123     | गा0सं-84 | गा0सं-122 |
| 86          | 0.099                            | गा0सं-87 | गा0सं-84 व 85 | गा0सं-83 | गा0सं-122 |

रामचन्द्र

सु-सोहावल

दीपमाला

अशोक

उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

| गाटा संख्या | विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | विक्रेता का नाम   | पिता/पति का नाम | विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में) | भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का 4 गुना | प्रतिफल की धनराशि |
|-------------|----------------------------------|---|-----------------|--------------------------------|---|-------------------|
| 1           | 2                                | 3   | 4               |                                | 7   | 8                 |
| 84          | 0.0615                           | राम चन्दर उर्फ<br>राम चन्दर<br>यादव                           | बन्धू लाल       | 0.0205                         | 287000.00                                       | 287000.00         |
|             |                                  | राम सुन्दर लाल<br>उर्फ सुन्दर<br>लाल यादव                     | बन्धू लाल       | 0.0205                         | 287000.00                                       | 287000.00         |
|             |                                  | दीपमाला   | मुन्नु यादव     | 0.00683                        | 95620.00  | 95620.00          |
|             |                                  | निखिल यादव  | मुन्नु यादव     | 0.00683                        | 95620.00  | 95620.00          |
|             |                                  | अनुष्का यादव<br>नाबालिग<br>संरक्षिका<br>दीपमाला स्वयं<br>माता | मुन्नु यादव     | 0.00683                        | 95620.00  | 95620.00          |
| 85          | 0.08025                          | राम चन्दर उर्फ<br>राम चन्दर<br>यादव                           | बन्धू लाल       | 0.02675                        | 374500.00                                       | 374500.00         |
|             |                                  | राम सुन्दर लाल<br>उर्फ सुन्दर<br>लाल यादव                     | बन्धू लाल       | 0.02675                        | 374500.00                                       | 374500.00         |
|             |                                  | दीपमाला   | मुन्नु यादव     | 0.00891                        | 124740.00                                       | 124740.00         |
|             |                                  | निखिल यादव  | मुन्नु यादव     | 0.00891                        | 124740.00                                       | 124740.00         |
|             |                                  | अनुष्का यादव<br>नाबालिग<br>संरक्षिका<br>दीपमाला स्वयं<br>माता | मुन्नु यादव     | 0.00891                        | 124740.00                                       | 124740.00         |
| 86          | 0.099                            | राम चन्दर उर्फ<br>राम चन्दर<br>यादव                           | बन्धू लाल       | 0.033                          | 462000.00                                       | 462000.00         |
|             |                                  | राम सुन्दर लाल<br>उर्फ सुन्दर<br>लाल यादव                     | बन्धू लाल       | 0.033                          | 462000.00                                       | 462000.00         |
|             |                                  | दीपमाला   | मुन्नु यादव     | 0.011                          | 154000.00                                       | 154000.00         |
|             |                                  | निखिल यादव  | मुन्नु यादव     | 0.011                          | 154000.00                                       | 154000.00         |
|             |                                  | अनुष्का यादव<br>नाबालिग<br>संरक्षिका<br>दीपमाला स्वयं<br>माता | मुन्नु यादव     | 0.011                          | 154000.00                                       | 154000.00         |
|             |                                  |   | योग             |                                | 3370080.00                                      |                   |

रामचन्दर      सुन्दर लाल यादव      दीपमाला      निखिल यादव      अनुष्का यादव



8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु. 235970.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण - .....

| विक्रेता का नाम                                   | पिता/पति का नाम | आधार संख्या  | पैन कार्ड संख्या | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय    | पता                              |
|---|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------|----------------------------------|
| 1   | 2               | 3            | 4                | 5            | 6          | 7                                |
| राम चन्दर उर्फ राम चन्दर यादव                     | बच्चू लाल       | 635301564536 | BOLPY2000Q       | 9956169843   | कृषि       | फिरोजपुर उपरहाहर सौहावल अयोध्या। |
| राम सुन्दर लाल उर्फ सुन्दर लाल यादव               | बच्चू लाल       | 291681588342 | AGVPL9453B       | 9956169843   | कृषि       | फिरोजपुर उपरहाहर सौहावल अयोध्या। |
| दीपमाला   | मुन्नु यादव     | 557584464497 |                  | 9956169843   | ग्रहणी     | फिरोजपुर उपरहाहर सौहावल अयोध्या। |
| निखिल यादव  | मुन्नु यादव     | 564691540804 | BGCPY7849C       | 9956169843   | विद्यार्थी | फिरोजपुर उपरहाहर सौहावल अयोध्या। |
| अनुष्का यादव नाबालिग संरक्षिका दीपमाला स्वयं माता | मुन्नु यादव     | 811836668760 |                  | 9956169843   | विद्यार्थी | फिरोजपुर उपरहाहर सौहावल अयोध्या। |

10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण- .....

  
अनंद कुमार  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



रामचन्द्र



रामसुन्दरलाल



दीपमाला



निखिल



| क्रेता का नाम  | पिता/पति का नाम | आधार संख्या | पैन कार्ड संख्या | मोबाइल नम्बर | पदनाम                                   | पता                              |
|--|-----------------|-------------|------------------|--------------|---|----------------------------------|
| 1  | 2               | 3           | 4                | 5            | 6                                       | 7                                |
| अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा स्वर्णिम राज उपसचिव विकास अयोध्या प्राधिकरण अयोध्या। | श्री शरद कुमार  |             | AAALA0206<br>C   | 7807779811   | उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। | अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। |

11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।



रामचंद्र



शरद कुमार



दीपमाला



उपसचिव

उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

12- भुगतान का विवरण -

| क्र 0 | विक्रेता का नाम                                 | पिता/पति का नाम | बैंक का नाम / शाखा का नाम           | IFSC Code   | खाता संख्या    | धनराशि            |
|-------|---|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 1     | 2   | 3               | 4                                   | 5           | 6              | 7                 |
| 1     | राम चन्द्र उर्फ राम चन्द्र यादव                 | बन्धू लाल       | बड़ीदा यू०पी० ग्रामीण बैंक अयोध्या। | BARB0BUPGBX | 55060100007117 | 1123500.00        |
| 2     | राम सुन्दर लाल उर्फ सुन्दर लाल यादव             | बन्धू लाल       | बड़ीदा यू०पी० ग्रामीण बैंक अयोध्या। | BARB0BUPGBX | 55300100000531 | 1123500.00        |
| 3     | दीपमाला   | मुन्नु यादव     | बड़ीदा यू०पी० ग्रामीण बैंक अयोध्या। | BARB0BUPGBX | 55300100009036 | 374360.00         |
| 4     | निखिल यादव                                      | मुन्नु यादव     | बड़ीदा यू०पी० ग्रामीण बैंक अयोध्या। | BARB0BUPGBX | 55300100017617 | 374360.00         |
| 5     | अनुष्का यादव नाबारिंग सरदिकल दीपमाला स्वयं माता | मुन्नु यादव     | बड़ीदा यू०पी० ग्रामीण बैंक अयोध्या। | BARB0BUPGBX | 55300100009036 | 374360.00         |
|       |   |                 |                                     |             | <b>Total</b>   | <b>3370080.00</b> |

कुल धनराशि शब्दों में- ( तीत्स लाख सत्तर हजार अस्सी रुपये मात्र )

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।



रामच-२२



५-५०००००००



दीपमाला



Abhis

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो गवोर्डों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण -:

हस्ताक्षर



| नाम       | पिता/पति का नाम    | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता                              |
|-----------|--------------------|--------------|---------|----------------------------------|
| ओम प्रकाश | स्व0 राजबली प्रसाद | 7607778903   | नौकरी   | अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। |

द्वितीय साक्षी विवरण -:

हस्ताक्षर

| नाम        | पिता/पति का नाम | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता             |
|------------|-----------------|--------------|---------|-----------------|
| अमित कुमार | राम चन्द्र      | 7558460033   | कृषि    | किशोरापर उपखण्ड |



शासनादेश संख्या - राजस्व अनु 015/215 एक -13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी / भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1) यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात भूस्वामी कहा गया है) और:

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।



रामचन्द्र



अमित कुमार



दीप प्रकाश



अमित कुमार

उप निवेदन

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या





100



- (7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
- (8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।
- (i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।
- (ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
- (iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

### अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

| खाता सं० | खसरा सं० | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए) | भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में) | भूमि पर खड़ी फसल |  |
|----------|----------|--------------------------|---|--|------------------|--|
|          |          |                          |   |  | विवरण            | मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में) |
| 01       | 02       | 03                       | 04  | 05   | 06               | 07                                     |
| 00104    | 84       | 0.0615                   |   | 3370080.00                                     | -                | -                                      |
| 00104    | 85       | 0.08025                  |   |  |                  |  |
| 00104    | 86       | 0.099                    |   |  |                  |  |

| भूदत्त अन्य सम्पत्ति का विवरण |  | देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9) | व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण |                 |                                 |
|-------------------------------|--|----------------------------------|---|-----------------|---------------------------------|
| विवरण                         | मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में) |                                  | नाम   | पिता/पति का नाम | पता                             |
| 08                            | 09                                       | 10                               | 11  |                 |                                 |
|                               |  | 3370080.00                       | राम चन्दर उर्फ राम चन्दर यादव                                   | बच्चू लाल       | फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या। |
|                               |  |                                  | राम सुन्दर लाल उर्फ सुन्दर लाल यादव                             | बच्चू लाल       | फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या। |
|                               |  |                                  | दीपमाला   | मुन्नु यादव     | फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या। |
|                               |  |                                  | निखिल यादव  | मुन्नु यादव     | फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या। |
|                               |  |                                  | अनुष्ठा यादव नामास्थित संरक्षिका दीपमाला स्वयं माता             | मुन्नु यादव     | फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या। |

  
 रामचन्द्र      दीपमाला      दीपमाला      दीपमाला

उप निदेशक  
 अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007953

विक्रय पत्र

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6515

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 3370080 स्टाम्प शुल्क- 235970 बाजारी मूल्य- 3371000 पंजीकरण शुल्क - 33710 प्रतिनिधिकरण शुल्क - 80 योग: 33790

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा  
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,  
पुत्र श्री शरद कुमार  
व्यवसाय: नौकरी  
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या



श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

स्वर्णिम राज अधिकृत  
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 06/10/2023 एवं  
12:45:33 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र०  
उप निबंधक :सौहावत  
अयोध्या  
06/10/2023

निबंधक लिपिक  
06/10/2023



नोट :- मैंने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

• भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

| क्र० सं० | नाम  | पिता/पति का नाम | पता                              | हस्ताक्षर          |
|----------|--|-----------------|----------------------------------|--------------------|
| 1        | 2  | 3               | 4                                | 5                  |
| 1        | राम छन्दर उर्फ राम छन्दर यादव                    | बखू लाल         | फिरोजपुर उपरहाहर सोहावल अयोध्या। | रामचन्द्र          |
| 2        | राम सुन्दर लाल उर्फ सुन्दर लाल यादव              | बखू लाल         | फिरोजपुर उपरहाहर सोहावल अयोध्या। | रामसुन्दर लाल यादव |
| 3        | दीपमाला  | मुन्नु यादव     | फिरोजपुर उपरहाहर सोहावल अयोध्या। | दीपमाला            |
| 4        | निखिल यादव                                       | मुन्नु यादव     | फिरोजपुर उपरहाहर सोहावल अयोध्या। | निखिल              |
| 5        | अनुष्का यादव नायालिंग संरक्षिका दीपमाला रसम भगता | मुन्नु यादव     | फिरोजपुर उपरहाहर सोहावल अयोध्या। | दीपमाला            |

गवाह / अभिसाक्षी

| नाम       | पिता/पति का नाम    | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता                              | हस्ताक्षर |
|-----------|--------------------|--------------|---------|----------------------------------|-----------|
| 1         | 2                  | 3            | 4       | 5                                | 6         |
| ओम प्रकाश | स्व० राजबली प्रसाद | 7607778903   | नौकरी   | अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। |           |



रामचन्द्र



रामसुन्दर लाल यादव



दीपमाला



निखिल

अनुष्का यादव नायालिंग संरक्षिका दीपमाला रसम भगता

श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबती प्रसाद

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नीकरी

पहचानकर्ता : 2



श्री अमित कुमार यादव, पुत्र श्री राम चन्द्र

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार अमित कुमार यादव



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र०

उप निबंधक : सोहावल

अयोध्या

06/10/2023

निबंधक लिपिक अयोध्या

06/10/2023

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी :

प्रिंट करें



गवाह / अभिसाक्षी

| नाम                | पिता/पति का नाम                  | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता                  | हस्ताक्षर           |
|--------------------|----------------------------------|--------------|---------|----------------------|---------------------|
| 1                  | 2                                | 3            | 4       | 5                    | 6                   |
| अश्विनीकुमार शर्मा | अश्विनी कुमार शर्मा<br>शाम्भुपुर | 7558460033   | कृषि    | पिरोत्तपुर<br>उपरहार | अश्विनी कुमार शर्मा |

क्रय निकाय की ओर से अधिकृत,  
(स्वर्णिम राज)  
उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण,  
अयोध्या।



शाम्भुपुर



अश्विनी कुमार शर्मा



दीपमाला



अश्विनी कुमार शर्मा

उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6515

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त विक्रेता: 1

श्री राम चन्दर उर्फ राम चन्दर यादव, पुत्र श्री बच्चू लाल  
निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह० सोहावल अयोध्या  
व्यवसाय: व्यापार राम चन्दर




विक्रेता: 2

श्री राम सुन्दर लाल उर्फ सुन्दर लाल यादव, पुत्र श्री बच्चू लाल  
निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह० सोहावल अयोध्या  
व्यवसाय: व्यापार



विक्रेता: 3

श्रीमती दीपमाला, पत्नी श्री मुन्नु यादव  
निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह० सोहावल अयोध्या  
व्यवसाय: गृहिणी



विक्रेता: 4

श्री निखिल यादव, पुत्र श्री मुन्नु यादव  
निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह० सोहावल अयोध्या  
व्यवसाय: व्यापार



विक्रेता: 5

श्रीमती अनुष्का शर्मा नाबालिग के द्वारा दीपमाला, पत्नी श्री  
मुन्नु यादव  
निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह० सोहावल अयोध्या  
व्यवसाय: गृहिणी



विक्रेता: 1

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री  
शरद कुमार  
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या  
व्यवसाय: नौकरी



ने निष्पादित स्वीकार किया। जिसकी पहचान पहचानकर्ता: 1

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वरिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखालेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

| गाटा सं० | विक्रेता का नाम | पिता/पति का नाम                                  | विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल | शपथकर्ता के हस्ताक्षर |
|----------|-----------------|--|-----------------------------------|-----------------------|
| 1        | 2               | 3  | 4                                 | 5                     |
| 84       | 0.0615          | राम चन्दर उर्फ राम चन्दर यादव                    | 0.0205                            | रामचन्द्र             |
|          |                 | राम सुन्दर लाल उर्फ सुन्दर लाल यादव              | 0.0205                            | सुन्दरलाल             |
|          |                 | दीपमाला  | 0.00683                           | दीपमाला               |
|          |                 | निखिल यादव                                       | 0.00683                           | निखिल                 |
|          |                 | अनुष्का यादव नाबालिग सरक्षिका दीपमाला स्वयं माता | 0.00683                           | दीपमाला               |
| 85       | 0.08025         | राम चन्दर उर्फ राम चन्दर यादव                    | 0.02675                           | रामचन्द्र             |
|          |                 | राम सुन्दर लाल उर्फ सुन्दर लाल यादव              | 0.02675                           | सुन्दरलाल             |
|          |                 | दीपमाला  | 0.00891                           | दीपमाला               |
|          |                 | निखिल यादव                                       | 0.00891                           | निखिल                 |
|          |                 | अनुष्का यादव नाबालिग सरक्षिका दीपमाला स्वयं माता | 0.00891                           | दीपमाला               |
| 86       | 0.099           | राम चन्दर उर्फ राम चन्दर यादव                    | 0.033                             | रामचन्द्र             |
|          |                 | राम सुन्दर लाल उर्फ सुन्दर लाल यादव              | 0.033                             | सुन्दरलाल             |
|          |                 | दीपमाला  | 0.011                             | दीपमाला               |
|          |                 | निखिल यादव                                       | 0.011                             | निखिल                 |
|          |                 | अनुष्का यादव नाबालिग सरक्षिका दीपमाला स्वयं माता | 0.011                             | दीपमाला               |

निष्पादन का दिनांक:- 06/10/23

स्थान - सोहावल, अयोध्या।

  
रामचन्द्र

  
सुन्दरलाल

  
दीपमाला

  
निखिल

  
अनुष्का यादव नाबालिग सरक्षिका दीपमाला स्वयं माता

आवेदन सं०: 202300904007953

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3150 के पृष्ठ 297 से 320 तक क्रमांक  
6515 पर दिनांक 06/10/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



प्रदीप कुमार प्र०  
उप निबंधक : सोहावल  
अयोध्या  
06/10/2023





INDIA NON JUDICIAL



113

Government of Uttar Pradesh

JN-UP35039149603384V



e-Stamp

Handwritten signature and number 6541

Certificate No. : IN-UP35039149603384V  
 Certificate Issued Date : 06-Oct-2023 04:20 PM  
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14148004/ SOHAWAL/ UP-FZB  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1414800465714996655793V  
 Purchased by : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Description of Document : Article 23 Conveyance  
 Property Description : GATA NO-104 MAUJA-FIROZPUR UPARHAR PAR-MAGALSI TEH-SOHAWAL DISTT-AYODHYA  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : SURJEET SO RAJIT RAM AND OTHERS  
 Second Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Stamp Duty Paid By : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 1,06,820  
 (One Lakh Six Thousand Eight Hundred And Twenty only)




Please verify or type below this one

अजयजीत अजीत कानि नि.सं. खैरापती



उप अधिकारी  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

शंकीत मंजरी कुलदीप नि.सं. कुकुमा



नि.सं. अ. राधेश्याम



0013443524

Statutory Alert:  
 1. The authenticity of the Stamp certificate should be verified at [www.ayodhya.gov.in](http://www.ayodhya.gov.in) or using e-Stamp Mobile App of Bank Hudders  
 Any discrepancy in the details on the Certificate and as available on the website / Mobile App should be reported.  
 2. The duty of checking the regularity is on the users of the certificate  
 3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



7907



## विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम - फिरोजपुर उपरहार ÷, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल, अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण- .....

|             |                      |                          |
|-------------|----------------------|--------------------------|
| गाटा संख्या | गाटा की यूनिट आई.डी. | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
| 104         | 1662690104000012     | 0.2080                   |


5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.06933 हेक्ठ

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

| गाटा संख्या | विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | पूरब      | पश्चिम    | उत्तर     | दक्षिण               |
|-------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| 104         | 0.06933                          | गा0सं-103 | गा0सं-105 | गा0सं-102 | चकमार्ग<br>गा0सं-106 |



मि. अ. राजेश्वर



उप निबन्धक  
अयोध्या विकास प्राधिकरण



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

| गाटा संख्या | विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | विक्रेता का नाम  | पिता/पति का नाम | विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में) | भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का 4 गुना | प्रतिफल की धनराशि |
|-------------|----------------------------------|--|-----------------|--------------------------------|---|-------------------|
| 1           | 2                                | 3  | 4               |                                | 7   | 8                 |
| 104         | 0.06933                          | सुरजीत उर्फ सुरजीत कुमार विश्वकर्मा                                    | स्व० राजितराम   | 0.003851                       | 84722.00  | 84722.00          |
|             |                                  | अजीत   | स्व० राजितराम   | 0.003851                       | 84722.00  | 84722.00          |
|             |                                  | श्याम कुमार नाथालिंग संरक्षिका सीतापती स्वयं माता                      | स्व० राजितराम   | 0.003851                       | 84722.00  | 84722.00          |
|             |                                  | कृष्ण  | स्व० राजितराम   | 0.003851                       | 84722.00  | 84722.00          |
|             |                                  | रानी नाथालिंग संरक्षिका सीतापती स्वयं माता                             | स्व० राजितराम   | 0.003851                       | 84722.00  | 84722.00          |
|             |                                  | सीतापती  | स्व० राजितराम   | 0.003851                       | 84722.00  | 84722.00          |
|             |                                  | रंजीत  | स्व० राम कृपाल  | 0.003301                       | 72622.00  | 72622.00          |
|             |                                  | कजीत   | स्व० राम कृपाल  | 0.003301                       | 72622.00  | 72622.00          |
|             |                                  | कुलदीप   | स्व० राम कृपाल  | 0.003301                       | 72622.00  | 72622.00          |
|             |                                  | दिलीप उर्फ दिलीप कुमार विश्वकर्मा नाथालिंग संरक्षिका कुसुमा माता स्वयं | स्व० राम कृपाल  | 0.003301                       | 72622.00  | 72622.00          |
|             |                                  | मीनक्षी नाथालिंग संरक्षिका कुसुमा माता स्वयं                           | स्व० राम कृपाल  | 0.003301                       | 72622.00  | 72622.00          |
|             |                                  | संजना नाथालिंग संरक्षिका कुसुमा माता स्वयं                             | स्व० राम कृपाल  | 0.003301                       | 72622.00  | 72622.00          |
|             |                                  | कुसुमा   | स्व० राम कृपाल  | 0.003301                       | 72622.00  | 72622.00          |
|             |                                  | राधेश्याम  | स्व० शिवदयाल    | 0.02311                        | 508420.00                                       | 508420.00         |
|             |                                  |  | योग             | 0.06933                        | 1525106.00                                      |                   |

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु. 106820.00

 सुरजीत  
 अजीत  
 कृष्ण  
 रानी सीतापती  
 कुलदीप


 राजेश कुसुमा

 उपस्थित  
 अधीक्षक विकास प्राधिकरण, अट



9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण -

| विक्रेता का नाम   | पिता/पति का नाम | आधार संख्या  | पैन कार्ड संख्या | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय    | पता                              |
|---|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------|----------------------------------|
| 1   | 2               | 3            | 4                | 5            | 6          | 7                                |
| सुरजीत उर्फ सुरजीत कुमार विश्वकर्मा                               | स्व० राजितराम   | 661863944850 |                  | 9651958391   | मजदूरी     | फिरोजपुर उपरहाहर सोहावल अयोध्या। |
| अजीत  | स्व० राजितराम   | 764017892856 |                  | 9651958391   | मजदूरी     | फिरोजपुर उपरहाहर सोहावल अयोध्या। |
| श्याम कुमार नाबालिन सरसिका सीतापती स्वयं माता श्रान्ति            | स्व० राजितराम   | 670271786641 |                  | 9651958391   | विद्यार्थी | फिरोजपुर उपरहाहर सोहावल अयोध्या। |
| शान्ती नाबालिन सरसिका सीतापती स्वयं माता श्रान्ति                 | स्व० राजितराम   | 458014474276 |                  | 9651958391   | विद्यार्थी | फिरोजपुर उपरहाहर सोहावल अयोध्या। |
| शान्ती नाबालिन सरसिका सीतापती स्वयं माता श्रान्ति                 | स्व० राजितराम   | 482780924149 |                  | 9651958391   | विद्यार्थी | फिरोजपुर उपरहाहर सोहावल अयोध्या। |
| सीतापती   | स्व० राजितराम   | 582397774631 | RBZP50438B       | 9651958391   | ग्रहणी     | फिरोजपुर उपरहाहर सोहावल अयोध्या। |
| रंजीत   | स्व० राम कृपाल  | 748738742649 |                  | 9651958391   | मजदूरी     | फिरोजपुर उपरहाहर सोहावल अयोध्या। |
| मंजीत   | स्व० राम कृपाल  | 242525208834 |                  | 7891245513   | मजदूरी     | फिरोजपुर उपरहाहर सोहावल अयोध्या। |
| कुलदीप  | स्व० राम कृपाल  | 392650833697 |                  | 7891245513   | मजदूरी     | फिरोजपुर उपरहाहर सोहावल अयोध्या। |
| विलीप उर्फ विलीप कुमार विश्वकर्मा नाबालिन सरसिका कुलना माता स्वयं | स्व० राम कृपाल  | 483323833652 |                  | 7891245513   | विद्यार्थी | फिरोजपुर उपरहाहर सोहावल अयोध्या। |
| मीनादी नाबालिन सरसिका कुलना                                       | स्व० राम कृपाल  | 271405580883 |                  | 7891245513   | विद्यार्थी | फिरोजपुर उपरहाहर सोहावल अयोध्या। |



डि. आ. अलीगढ़



सुरजीत



अजीत



श्याम




शान्ती



शान्ती



सीतापती



अजीत

उपनिवेश  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, २



|  |                |              |  |            |            |                                  |
|--|----------------|--------------|--|------------|------------|----------------------------------|
| माता स्वयं                               |                |              |  |            |            |                                  |
| सजना नाबालिग संरक्षिका कुसुमा माता स्वयं | स्व० राम कृपाल | 248274591221 |  | 7891245513 | विद्यार्थी | फिरोजपुर उपरहाहर सोहावल अयोध्या। |
| कुसुमा                                   | स्व० राम कृपाल | 914121067142 |  | 7891245513 | घरनी       | फिरोजपुर उपरहाहर सोहावल अयोध्या। |
| राधेस्याम                                | स्व० शिवदयाल   | 287279774460 |  | 7891245513 | मजदूरी     | फिरोजपुर उपरहाहर सोहावल अयोध्या। |

10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण- .....

| क्रेता का नाम   | पिता/पति का नाम | आधार संख्या | पैन कार्ड संख्या | मोबाइल नम्बर | पदनाम                                    | पता                              |
|---|-----------------|-------------|------------------|--------------|--|----------------------------------|
| 1   | 2               | 3           | 4                | 5            | 6  | 7                                |
| अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा स्वर्णिम राज उपसक्ति विकास अयोध्या। | श्री शरद कुमार  |             | AAALA0206<br>C   | 7607778911   | उपसक्ति अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। | अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। |

11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।

ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।

ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।

घ- विक्रीत भूमि का द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।

शिवदयाल

सुरजीत

अजीत

क्यात

शक्ति

कुलदीप

शिवदयाल

उपसक्ति  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

मजदूरी



- ड- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारो और प्रभारो से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियो और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।
- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

## 12- भुगतान का विवरण -

| क्र० | विक्रेता का नाम  | पिता/पति का नाम  | बैंक का नाम / शाखा का नाम                | IFSC Code   | खाता संख्या    | धनराशि   |
|------|--|------------------|--|-------------|----------------|----------|
| 1    | शुरजीत लर्फ<br>शुरजीत कुमार<br>विश्वकर्मा                  | स्व०<br>राजितराम | बड़ीदा कुपी०<br>ग्रामीण बैंक<br>अयोध्या। | BARB0BUPGBX | 55300100015106 | 84722.00 |
| 2    | अजीत   | स्व०<br>राजितराम | बड़ीदा कुपी०<br>ग्रामीण बैंक<br>अयोध्या। | BARB0BUPGBX | 55300100015099 | 84722.00 |
| 3    | रयाम कुमार<br>भावलिग<br>संरक्षिका<br>सीतापती<br>स्वयं माता | स्व०<br>राजितराम | बड़ीदा कुपी०<br>ग्रामीण बैंक<br>अयोध्या। | BARB0BUPGBX | 55300100011369 | 84722.00 |
| 4    | कान्ति   | स्व०<br>राजितराम | बड़ीदा कुपी०<br>ग्रामीण बैंक<br>अयोध्या। | BARB0BUPGBX | 55300100015101 | 84722.00 |

मि. अ. ५। ६। ७। ८। ९। १०। ११। १२। १३। १४। १५। १६। १७। १८। १९। २०। २१। २२। २३। २४। २५। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१। ३२। ३३। ३४। ३५। ३६। ३७। ३८। ३९। ४०। ४१। ४२। ४३। ४४। ४५। ४६। ४७। ४८। ४९। ५०। ५१। ५२। ५३। ५४। ५५। ५६। ५७। ५८। ५९। ६०। ६१। ६२। ६३। ६४। ६५। ६६। ६७। ६८। ६९। ७०। ७१। ७२। ७३। ७४। ७५। ७६। ७७। ७८। ७९। ८०। ८१। ८२। ८३। ८४। ८५। ८६। ८७। ८८। ८९। ९०। ९१। ९२। ९३। ९४। ९५। ९६। ९७। ९८। ९९। १००।

शुरजीत

अजीत

रयाम कुमार

कान्ति

मि. अ. ५। ६। ७। ८। ९। १०। ११। १२। १३। १४। १५। १६। १७। १८। १९। २०। २१। २२। २३। २४। २५। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१। ३२। ३३। ३४। ३५। ३६। ३७। ३८। ३९। ४०। ४१। ४२। ४३। ४४। ४५। ४६। ४७। ४८। ४९। ५०। ५१। ५२। ५३। ५४। ५५। ५६। ५७। ५८। ५९। ६०। ६१। ६२। ६३। ६४। ६५। ६६। ६७। ६८। ६९। ७०। ७१। ७२। ७३। ७४। ७५। ७६। ७७। ७८। ७९। ८०। ८१। ८२। ८३। ८४। ८५। ८६। ८७। ८८। ८९। ९०। ९१। ९२। ९३। ९४। ९५। ९६। ९७। ९८। ९९। १००।

मि. अ. ५। ६। ७। ८। ९। १०। ११। १२। १३। १४। १५। १६। १७। १८। १९। २०। २१। २२। २३। २४। २५। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१। ३२। ३३। ३४। ३५। ३६। ३७। ३८। ३९। ४०। ४१। ४२। ४३। ४४। ४५। ४६। ४७। ४८। ४९। ५०। ५१। ५२। ५३। ५४। ५५। ५६। ५७। ५८। ५९। ६०। ६१। ६२। ६३। ६४। ६५। ६६। ६७। ६८। ६९। ७०। ७१। ७२। ७३। ७४। ७५। ७६। ७७। ७८। ७९। ८०। ८१। ८२। ८३। ८४। ८५। ८६। ८७। ८८। ८९। ९०। ९१। ९२। ९३। ९४। ९५। ९६। ९७। ९८। ९९। १००।

उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण,



|    |  |                   |   |             |                |            |
|----|--|-------------------|---|-------------|----------------|------------|
| 5  | शान्ती<br>नाबालिन<br>संरक्षिका<br>सीतापती<br>स्वयं माता                                    | स्व०<br>राजितराम  | बड़ीदा यू०पी०<br>ग्रामीण बैंक<br>अयोध्या। | BARB0BUPGBX | 55300100011369 | 84722.00   |
| 6  | सीतापती  | स्व०<br>राजितराम  | बड़ीदा यू०पी०<br>ग्रामीण बैंक<br>अयोध्या। | BARB0BUPGBX | 55300100011369 | 84722.00   |
| 7  | रंजीत  | स्व० राम<br>कृपाल | बड़ीदा यू०पी०<br>ग्रामीण बैंक<br>अयोध्या। | BARB0BUPGBX | 55300100016717 | 72622.00   |
| 8  | मंजीत  | स्व० राम<br>कृपाल | बैंक ऑफ बड़ीदा                            | BARB0SUCHIT | 00708100021193 | 72622.00   |
| 9  | कुलदीप   | स्व० राम<br>कृपाल | बड़ीदा यू०पी०<br>ग्रामीण बैंक<br>अयोध्या। | BARB0BUPGBX | 55300100011716 | 72622.00   |
| 10 | विलीप उर्फ<br>दिलीप<br>कुमार<br>विश्वकर्मा<br>नाबालिन<br>संरक्षिका<br>कुसुमा माता<br>स्वयं | स्व० राम<br>कृपाल | बैंक ऑफ बड़ीदा                            | BARB0SUCHIT | 00708100009077 | 72622.00   |
| 11 | मीनाक्षी<br>नाबालिन<br>संरक्षिका<br>कुसुमा माता<br>स्वयं                                   | स्व० राम<br>कृपाल | बैंक ऑफ बड़ीदा                            | BARB0SUCHIT | 00708100009077 | 72622.00   |
| 12 | संजना<br>नाबालिन<br>संरक्षिका<br>कुसुमा माता<br>स्वयं                                      | स्व० राम<br>कृपाल | बैंक ऑफ बड़ीदा                            | BARB0SUCHIT | 00708100009077 | 72622.00   |
| 13 | कुसुमा   | स्व० राम<br>कृपाल | बैंक ऑफ बड़ीदा                            | BARB0SUCHIT | 00708100009077 | 72622.00   |
| 14 | राधेश्याम  | स्व०<br>शिवदयाल   | बड़ीदा यू०पी०<br>ग्रामीण बैंक<br>अयोध्या। | BARB0BUPGBX | 55300100013168 | 508420.00  |
|    |  |                   |   |             | <b>Total</b>   | 1525108.00 |

कुल धनराशि शब्दों में- ( पन्द्रह लाख पचीस हजार एक सौ छः रुपये मात्र )

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में

-7-

वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अवल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अवल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

उपरोक्त

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

11/03/2024

सुरजीत 3-10-2024

कुलदीप



इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो गवोहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

#### 14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण -:

हस्ताक्षर



| नाम       | पिता/पति का नाम    | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता                              |
|-----------|--------------------|--------------|---------|----------------------------------|
| ओम प्रकाश | स्व० राजबली प्रसाद | 7607778903   | नौकरी   | अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। |

द्वितीय साक्षी विवरण -:

हस्ताक्षर

| नाम   | पिता/पति का नाम | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता               |
|-------|-----------------|--------------|---------|-------------------|
| एकनाथ | रामचन्द्र       | 9935316573   | कृषि    | श्रीरामपुर 342811 |



हस्ताक्षर

शासनादेश संख्या - राजस्व अनुभाग -13 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी /भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1) यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात भूस्वामी कहा गया है) और:

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है



म.श. राधेश्याम



उपनिवेशि  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।

और चूंकि भूस्वामी अप्रेतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवद्ध कोई बात या भूवद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेंगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते हैं:-

(1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।

(2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।

(3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रिय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्त और पृथकतः) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।

(4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।

(5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।

(6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा बहन किया जायेगा।

(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।



नि.सं. 11/02/2013



शुभजीव



3-7/2013




शर्मा



पंजाब



पुष्पदीप



नि.सं. 08/02/2013

उप-सचिव

असौजन्य विकास प्राधिकरण, अयोध्या



- (e) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।
- (i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।
- (ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
- (iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

### अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

| खाता सं० | खसरा सं० | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए) | भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में) | भूमि पर खड़ी फसल |  |
|----------|----------|--------------------------|---|--|------------------|--|
|          |          |                          |   |  | विवरण            | मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में) |
| 01       | 02       | 03                       | 04  | 05   | 06               | 07                                     |
| 00133    | 104      | 0.06933                  |   | 1525106.00                                     | -                | -                                      |

| भूबद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण | मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में) | देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9) | व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण |                 |                                 |
|-------------------------------|--|----------------------------------|---|-----------------|---------------------------------|
|                               |  |                                  | नाम   | पिता/पति का नाम | पता                             |
| 08                            | 09                                       | 10                               | 11  |                 |                                 |
|                               |  | 1525106.00                       | सुरजीत उर्फ सुरजीत कुमार विश्वकर्मा                             | स्व० राजितराम   | फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या। |
|                               |  |                                  | अजीत  | स्व० राजितराम   | फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या। |
|                               |  |                                  | राम कुमार नाबालिग शरदिका सीतापती स्वयं माता                     | स्व० राजितराम   | फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या। |
|                               |  |                                  | क्रान्ति  | स्व० राजितराम   | फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या। |
|                               |  |                                  | शान्ती नाबालिग शरदिका सीतापती स्वयं माता                        | स्व० राजितराम   | फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या। |
|                               |  |                                  | सीतापती   | स्व० राजितराम   | फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या। |
|                               |  |                                  | रंजीत   | स्व० राम कृपाल  | फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या। |
|                               |  |                                  | मंजीत   | स्व० राम कृपाल  | फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या। |
|                               |  |                                  | कुलदीप  | स्व० राम कृपाल  | फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या। |



डि.कॉ. अयोध्या



सुरजीत



अजीत



रंजीत



कुलदीप



मंजीत

उपरहार  
अयोध्या विकास प्राधिकरण

आवेदन सं०: 202300904007987

विक्रय पत्र

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6541

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 1525106 स्टाम्प शुल्क - 166820 बाजारी मूल्य - 1526000 पंजीकरण शुल्क - 15260 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 15340

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा  
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,  
पुत्र श्री शरद कुमार  
व्यवसाय : नौकरी  
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या



श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

स्वर्णिम राज अधिकृत  
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 06/10/2023 एवं  
05:23:53 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र०  
उप निबंधक -सोहावल  
अयोध्या  
06/10/2023

निबंधक लिपिक  
06/10/2023

प्रिंट करें



|  |  |  |  |                |                                     |
|--|--|--|--|----------------|-------------------------------------|
|  |  |  | दिलीप उर्फ<br>दिलीप कुमार<br>विश्वकर्मा<br>नाबालिग<br>संरक्षिका कुसुमा<br>माता स्वयं | स्व० राम कृपाल | फिरोजपुर उपरहाहर सोहावल<br>अयोध्या। |
|  |  |  | मीनाक्षी<br>नाबालिग<br>संरक्षिका कुसुमा<br>माता स्वयं                                | स्व० राम कृपाल | फिरोजपुर उपरहाहर सोहावल<br>अयोध्या। |
|  |  |  | संजना नाबालिग<br>संरक्षिका कुसुमा<br>माता स्वयं                                      | स्व० राम कृपाल | फिरोजपुर उपरहाहर सोहावल<br>अयोध्या। |
|  |  |  | कुसुमा   | स्व० राम कृपाल | फिरोजपुर उपरहाहर सोहावल<br>अयोध्या। |
|  |  |  | राधेश्याम  | स्व० शिवदत्त   | फिरोजपुर उपरहाहर सोहावल<br>अयोध्या। |

नोट :- मैने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

- भुस्वामी/भुस्वामियों के हस्ताक्षर

| क्र० सं० | नाम  | पिता/पति का नाम | पता                              | हस्ताक्षर   |
|----------|--|-----------------|----------------------------------|---|
| 1        | 2  | 3               | 4                                | 5   |
| 1        | सुरजीत उर्फ सुरजीत कुमार विश्वकर्मा              | स्व० राजितराम   | फिरोजपुर उपरहाहर सोहावल अयोध्या। | सुरजीत  |
| 2        | अजीत   | स्व० राजितराम   | फिरोजपुर उपरहाहर सोहावल अयोध्या। | अजीत  |
| 3        | श्याम कुमार नाबालिग संरक्षिका सीतापती स्वयं माता | स्व० राजितराम   | फिरोजपुर उपरहाहर सोहावल अयोध्या। |  |
| 4        | अजित   | स्व० राजितराम   | फिरोजपुर उपरहाहर सोहावल अयोध्या। | अजित  |
| 5        | शान्ती नाबालिग संरक्षिका सीतापती स्वयं माता      | स्व० राजितराम   | फिरोजपुर उपरहाहर सोहावल अयोध्या। |  |
| 6        | सीतापती  | स्व० राजितराम   | फिरोजपुर उपरहाहर सोहावल अयोध्या। |  |
| 7        | रंजीत  | स्व० राम कृपाल  | फिरोजपुर उपरहाहर सोहावल अयोध्या। | रंजीत   |

  
राजेश्याम

  
सुरजीत


  
अजीत

  
अजीत

  
शान्ती

  
अजीत

  
सीतापती

  
रंजीत


उपस्थित  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता : 1



श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबली प्रसाद

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता : 2



श्री हृदयराम, पुत्र श्री रामचन्द्र

निवासी: फिरोजपुरसपरहार तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि

हृदय राम



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र०

उप निबंधक : सोहावल  
अयोध्या

06/10/2023




निबंधक लिपिक अयोध्या

06/10/2023

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे निपमानुसार लिए गए हैं।  
टिप्पणी :

प्रिंट करें



|    |  |                |                                  |   |
|----|--|----------------|----------------------------------|---|
| 8  | मंजीत  | स्व० राम कृपाल | फिरोजपुर उपरहाहर सोहावल अयोध्या। |   |
| 9  | कुलदीप   | स्व० राम कृपाल | फिरोजपुर उपरहाहर सोहावल अयोध्या। |  |
| 10 | दिलीप उर्फ दिलीप कुमार शिरदकर्ना नाबालिग संरक्षिका कुसुमा माता स्वयं | स्व० राम कृपाल | फिरोजपुर उपरहाहर सोहावल अयोध्या। |  |
| 11 | मीनक्षी नाबालिग संरक्षिका कुसुमा माता स्वयं                          | स्व० राम कृपाल | फिरोजपुर उपरहाहर सोहावल अयोध्या। |  |
| 12 | सजना नाबालिग संरक्षिका कुसुमा माता स्वयं                             | स्व० राम कृपाल | फिरोजपुर उपरहाहर सोहावल अयोध्या। |  |
| 13 | कुसुमा   | स्व० राम कृपाल | फिरोजपुर उपरहाहर सोहावल अयोध्या। |  |
| 14 | राधेश्याम  | स्व० शिवदयाल   | फिरोजपुर उपरहाहर सोहावल अयोध्या। |  |

ने.श. राधेश्याम

गवाह / अभिसाक्षी

| नाम       | पिता/पति का नाम    | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता                              | हस्ताक्षर |
|-----------|--------------------|--------------|---------|----------------------------------|-----------|
| 1         | 2                  | 3            | 4       | 5                                | 6         |
| ओम प्रकाश | स्व० राजबली प्रसाद | 7607778903   | नौकरी   | अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। |           |



ने.श. राधेश्याम

गवाह / अभिसाक्षी



मंजीत

अनंजीत



मंजीत



मंजीत



कुलदीप



मंजीत



दिलीप



कुसुमा

उप नि.श. अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

श्री मंजीत, पुत्र श्री स्व राम कृपाल

निवासी: फिरोजपुरउपरहार तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 8

मंजीत



श्री कुलदीप, पुत्र श्री स्व राम कृपाल

निवासी: फिरोजपुरउपरहार तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 9

कुलदीप



श्रीमती दिलीप उर्फ दिलीप कुमार विश्वकर्मा नाबालिग के द्वारा कुसुमा, पत्नी श्री स्व राम कृपाल

निवासी: फिरोजपुरउपरहार तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: गृहिणी

विक्रेता: 10




श्रीमती भीनाक्षी नाबालिग के द्वारा कुसुमा, पत्नी श्री स्व राम कृपाल

निवासी: फिरोजपुरउपरहार तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: गृहिणी

विक्रेता: 11



श्रीमती संजना नाबालिग के द्वारा कुसुमा, पत्नी श्री स्व राम कृपाल

निवासी: फिरोजपुरउपरहार तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: गृहिणी

विक्रेता: 12



श्रीमती कुसुमा, पत्नी श्री स्व राम कृपाल

निवासी: फिरोजपुरउपरहार तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: गृहिणी

विक्रेता: 13



श्री राधेश्याम, पुत्र श्री स्व शिवदयाल

निवासी: फिरोजपुरउपरहार तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि

विक्रेता: 14



श्रीमती शान्ती नाबालिग के द्वारा सीतापती, पत्नी श्री स्व राजितराम

निवासी: फिरोजपुरउपरहार तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: गृहिणी

विक्रेता: 1



र

| नाम      | पिता/पति का नाम | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता      | हस्ताक्षर |
|----------|-----------------|--------------|---------|----------|-----------|
| 1        | 2               | 3            | 4       | 5        | 6         |
| हृदय राम | रामच-६८         | 9935316573   | कृषि    | फिरोजपुर | हृदय राम  |

  
 ग्राम निकाय की ओर से अधिकृत,  
 (स्वर्णिम राज)  
 उपसचिव  
 अयोध्या विकास प्राधिकरण,  
 अयोध्या।


-12-


हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलखी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

| गाटा सं० | विक्रेता का नाम | पिता/पति का नाम | विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल | शपथकर्ता के हस्ताक्षर |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1        | 2               | 3               | 4                                 | 5                     |

  
 न.अ. ११/२२०१२०

  
 सुखवीर

  
 न.अ. सोहावल  
 न.अ. ११/२२०१२०

  
 उपसचिव  
 अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6541

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखापत्र बाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त विक्रेता: 1

श्री सुरजीत उर्फ सुरजीत कुमार विश्वकर्मा, पुत्र श्री स्व राजितराम

निवासी: फिरोजपुरउपरहार तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 2

सुरजीत



श्री अजीत, पुत्र श्री स्व राजितराम

निवासी: फिरोजपुरउपरहार तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि

विक्रेता: 3

अजीत



श्रीमती श्याम कुमार नाबलिंग के द्वारा सीतापति, पत्नी श्री स्व राजितराम

निवासी: फिरोजपुरउपरहार तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: गृहिणी

विक्रेता: 4




कुमारी कान्ति, पुत्री श्रीमती स्व राजितराम

निवासी: फिरोजपुरउपरहार तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: गृहिणी

विक्रेता: 5




श्रीमती सीतापति, पत्नी श्री स्व राजितराम

निवासी: फिरोजपुरउपरहार तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: गृहिणी

विक्रेता: 6




श्री रंजीत, पुत्र श्री स्व राम कपाल

निवासी: फिरोजपुरउपरहार तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 7

रंजीत




Handwritten signature

|   |                |          |  |
|---|----------------|----------|--|
| सुरजीत उर्फ सुरजीत कुमार विश्वकर्मा                                   | स्व० राजितराम  | 0.003851 | सुरजीत   |
| अजीत  | स्व० राजितराम  | 0.003851 | अजीत   |
| श्याम कुमार नाबालिग संरक्षिका सीतापती स्वयं माता                      | स्व० राजितराम  | 0.003851 | <br>नि.अ. सीतापती |
| क्रान्ति  | स्व० राजितराम  | 0.003851 | क्रान्ति   |
| शान्ती नाबालिग संरक्षिका सीतापती स्वयं माता                           | स्व० राजितराम  | 0.003851 |                   |
| सीतापती   | स्व० राजितराम  | 0.003851 |                   |
| रजीत  | स्व० राम कृपाल | 0.003301 | रजीत   |
| मजीत  | स्व० राम कृपाल | 0.003301 | मजीत   |
| कुलदीप  | स्व० राम कृपाल | 0.003301 | कुलदीप   |
| दिलीप उर्फ दिलीप कुमार विश्वकर्मा नाबालिग संरक्षिका कुसुमा माता स्वयं | स्व० राम कृपाल | 0.003301 | <br>नि.अ. कुसुमा  |
| मीनाक्षी नाबालिग संरक्षिका कुसुमा माता स्वयं                          | स्व० राम कृपाल | 0.003301 |                 |
| संजना नाबालिग संरक्षिका कुसुमा माता स्वयं                             | स्व० राम कृपाल | 0.003301 |                 |
| कुसुमा  | स्व० राम कृपाल | 0.003301 |                 |
| राजेश्वराम  | स्व० शिवदयाल   | 0.02311  |                 |

निष्पादन का दिनांक:- 06/10/23  
स्थान - सोहावल, अयोध्या।

नि.अ. राजेश्वराम



उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



आवेदन सं०: 202300904007987

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3151 के पृष्ठ 319 से 346 तक क्रमांक  
6541 पर दिनांक 06/10/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



प्रदीप कुमार प्र०  
उप निबंधक : सोहावल  
अयोध्या  
06/10/2023





INDIA NON JUDICIAL



IN-UP36203374420405V


Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No.  
 Certificate Issued Date  
 Account Reference  
 Unique Doc. Reference  
 Purchased by  
 Description of Document  
 Property Description  
 Consideration Price (Rs.)  
 First Party  
 Second Party  
 Stamp Duty Paid By  
 Stamp Duty Amount(Rs.)

IN-UP36203374420405V  
 07-Oct-2023 04:29 PM  
 NEWIMPACC (SV)/up14148004/ SOHAWAL/ UP-FZB  
 SUBIN-UPUP1414800468022390194684V  
 AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Article 23 Conveyance  
 GATA NO-167 MAUJA-FIROZPUR UPARHAR PAR-MAGALSI TEH-  
 SOHAWAL DISTT-AYODHYA  
 RAM TEERATH SO JAG PRASAD  
 AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 6,230  
 (Six Thousand Two-Hundred And Thirty only)



*Handwritten signature*

Please write or type below this line

नि. अ. रामतीरथ

*Handwritten signature*

सप सचिव  
 अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

0013443531

Statutory Alert:

- The authenticity of the e-Stamp certificate is verified at [www.e-stamp.gov.in](http://www.e-stamp.gov.in) or using e-Stamp Mobile App of India, Mumbai. Any discrepancy in the e-Stamp or the Certificate should be available on the website / Mobile App, vendor's consent.
- The mode of clearing the liability is on the basis of the certificate.
- In case of any discrepancy, please inform the Concerned Authority.





नि.अ. रामलाल



अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

## विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु धयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम - फिरोजपुर उपरहार ÷, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल, अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण- .....

| गाटा संख्या | गाटा की यूनिट आई.डी. | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
|-------------|----------------------|--------------------------|
| 167         | 1662690167000012     | 0.0190                   |

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.0063 हेक्

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

| गाटा संख्या | विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | पूरब       | पश्चिम     | उत्तर      | दक्षिण     |
|-------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 167         | 0.0063 हेक्                      | गा0सं0-213 | गा0सं0-170 | गा0सं0-162 | गा0सं0-163 |



नि.अ. रामलाल

उप निबन्धक  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

| गाटा संख्या | विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | विक्रेता का नाम | पिता/पति का नाम | विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में) | भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का (रु० हेक्टेयर) (सर्किल दर का 4 गुना) | प्रतिफल की धनराशि |
|-------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---|-------------------|
| 1           | 2                                | 3               | 4               |                                | 7   | 8                 |
| 167         | 0.0063 हेव०                      | राम तीरथ        | जग प्रसाद       | 0.0063                         | 88200.00  | 88200.00          |

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु. 6230.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण - .....

| विक्रेता का नाम | पिता/पति का नाम | आधार संख्या  | पैन कार्ड संख्या | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता                             |
|-----------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|---------|---------------------------------|
| 1               | 2               | 3            | 4                | 5            | 6       | 7                               |
| राम तीरथ        | जग प्रसाद       | 325314774663 | BRZPT0355A       | 7268866434   | कृषि    | चिरा मोहम्मदपुर सोहावल, अयोध्या |

10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण- .....

| क्रेता का नाम  | पिता/पति का नाम | आधार संख्या | पैन कार्ड संख्या | मोबाइल नम्बर | पदनाम                                   | पता                              |
|--|-----------------|-------------|------------------|--------------|---|----------------------------------|
| 1  | 2               | 3           | 4                | 5            | 6                                       | 7                                |
| अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। | श्री शरद कुमार  |             | AAALA0206C       | 7607778911   | उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। | अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। |



निष्ठा राम तीरथ


  
 उपसचिव  
 अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

100



11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।
- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।



नि.श. रामलक्ष्मी

उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



12- भुगतान का विवरण -

| क्र 0 | विक्रेता का नाम | पिता/पति का नाम | बैंक का नाम/ शाखा का नाम           | IFSC Code   | खाता संख्या    | धनराशि   |
|-------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-------------|----------------|----------|
| 1     | 2               | 3               | 4                                  | 5           | 6              | 7        |
| 1     | राम तीरथ        | जग प्रसाद       | बड़ौदा यू.पी. ग्रामीण बैंक अयोध्या | BARB0BUPGBX | 55300100001310 | 88200.00 |

कुल धनराशि शब्दों में- ( अट्ठासी हजार दो सौ रुपये मात्र )

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो गवोहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण -:  
हस्ताक्षर



| नाम       | पिता/पति का नाम    | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता                                     |
|-----------|--------------------|--------------|---------|---|
| ओम प्रकाश | स्व0 राजबली प्रसाद | 7607778903   | नौकरी   | डी- वैद्यही नगर कालोनी शाहबगंज अयोध्या। |

द्वितीय साक्षी विवरण -:



दिनांक 21/07/24

उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



हस्ताक्षर

राहुल



| नाम   | पिता/पति का नाम | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता         |
|-------|-----------------|--------------|---------|-------------|
| राहुल | राम श्रुत       | 9005178528   | कृषि    | अवनीकापुरवा |

शासनादेश संख्या - राजस्व अनुभाग -13 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी / भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्द्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात भूस्वामी कहा गया है) और:


द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्द्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।

और चूंकि भूस्वामी अग्रेतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवद्ध कोई बात या भूवद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेंगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्द्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-

- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, बले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।

  
मि.श. राम श्रुत

  
उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रिय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्त और पृथकतः) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।
- (6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसमें स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित हैं को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।
- (7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
- (8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।
- (i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।
- (ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
- (iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

## अनुसूची



नि.अ. 12/1/20

उप सचिव  
अपेक्षित विकास प्राधिकरण, अयोध्या



ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

| खाता सं० | खसरा सं० | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (घारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए) | भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में) | भूमि पर खड़ी फसल |  |
|----------|----------|--------------------------|---|--|------------------|--|
|          |          |                          |   |  | विवरण            | मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में) |
| 01       | 02       | 03                       | 04  | 05   | 06               | 07                                     |
| 0033     | 167      | 0.0063                   |   | 88200.00                                       | -                | -                                      |

| भूबद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण |  | देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9) | व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण |                 |                                 |
|-------------------------------|--|----------------------------------|---|-----------------|---------------------------------|
| विवरण                         | मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में) |                                  | नाम   | पिता/पति का नाम | पता                             |
| 08                            | 09                                       | 10                               | 11  |                 |                                 |
|                               |  | 88200.00                         | राम तीरथ  | जग प्रसाद       | चिरा मोहम्मदपुर सोहावल, अयोध्या |

नोट :- मैंने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

- भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

| क्र० सं० | नाम      | पिता/पति का नाम | पता                             | हस्ताक्षर   |
|----------|----------|-----------------|---------------------------------|---|
| 1        | 2        | 3               | 4                               | 5   |
| 1        | राम तीरथ | जग प्रसाद       | चिरा मोहम्मदपुर सोहावल, अयोध्या |  |

गवाह /अभिसाक्षी

  
गवाह-राजेश्वर

उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904008011

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6560

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 88200 स्टाम्प शुल्क- 6230 बाजारी मूल्य - 89000 पंजीकरण शुल्क - 890 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 950

श्री अपोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा  
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,  
पुत्र श्री शरद कुमार  
धरमसाय : नौकरी  
निवासी: अपोध्या विकास प्राधिकरण अपोध्या




श्री, अपोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

स्वर्णिम राज अधिकृत  
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 07/10/2023 एवं  
04:46:16 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

  
राजेंद्र सिंह  
उप निबंधक : सोहावल  
अपोध्या  
07/10/2023

निबंधक लिपिक  
07/10/2023

| नाम       | पिता/पति का नाम    | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता                                     | हस्ताक्षर |
|-----------|--------------------|--------------|---------|---|-----------|
| 1         | 2                  | 3            | 4       | 5                                       | 6         |
| ओम प्रकाश | स्व0 राजवली प्रसाद | 7607778903   | नौकरी   | डी- वैद्यही नगर कालोनी शाहबगंज अयोध्या। |           |

गवाह / अभिसाक्षी

| नाम   | पिता/पति का नाम | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता           | हस्ताक्षर |
|-------|-----------------|--------------|---------|---------------|-----------|
| 1     | 2               | 3            | 4       | 5             | 6         |
| राहुल | रामेश्वर        | 9005178528   | कृषि    | मन्थलीकापुरवा | राहुल     |

क्रय निकाय की ओर से अधिकृत,  
(स्वर्णिम राज)  
उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण,  
अयोध्या।

  
लिखा रामेश्वर

  
उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या।

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6560

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त  
विक्रेता: 1

श्री राम तीरथ, पुत्र श्री जग प्रसाद

निवासी: धिरामोहम्मदपुर तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

क्रेता: 1



श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री  
शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान  
पहचानकर्ता: 1



श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबली प्रसाद

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2



श्री राहुल, पुत्र श्री रामसूरत

निवासी: धिरामोहम्मदपुर तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

राहुल



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राहुल सिंह


उप निबंधक : सोहावल  
अयोध्या  
07/10/2023

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार  
लिए गए हैं।  
टिप्पणी:

निबंधक लिपिक अयोध्या  
07/10/2023

प्रिंट करें

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

| गाटा सं० | विक्रेता का नाम | पिता/पति का नाम | विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल | शपथकर्ता के हस्ताक्षर   |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---|
| 1        | 2               | 3               | 4                                 | 5   |
| 167      | राम तीरथ        | जग प्रसाद       | 0.0063                            |  |

निष्पादन का दिनांक:- 07/10/23  
स्थान - सोहावल, अयोध्या।

राम तीरथ



राम तीरथ


  
उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904008011

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3152 के पृष्ठ 219 से 236 तक क्रमांक 6560 पर दिनांक 07/10/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
राहुल सिंह.

उप निबंधक : सोहावल

अयोध्या

07/10/2023



INDIA NON JUDICIAL



IN-UP37676638119797V

Government of Uttar Pradesh


e-Stamp

26593



115  
115

Certificate No. : IN-UP37676638119797V  
 Certificate Issued Date : 09-Oct-2023 05:44 PM  
 Account Reference : NEWIMPACC (SV) up14148004/ SOHAWAL/ UP-FZB  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1414800470966168883335V  
 Purchased by : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Description of Document : Article 23 Conveyance  
 Property Description : GATA NO-167 MAUJA-FIROZPUR UPARHAR-PAR-MAGALSI TEH-SOHAWAL DISTT-AYODHYA  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : RAMBATI WO RAM MURAT YADAV AND OTHERS  
 Second Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Stamp Duty Paid By : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 12,460  
 (Twelve Thousand Four Hundred And Sixty only)



Please write or type below this line

गीरा यादव राम कृष्ण अलरंगी सौनिया  
राम शंकर प्रियंका यादव Deep mala  
शहना Ushal  
 उपस्थित  
 अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

0013443538

Statutory Alert

- The authenticity of this Stamp certificate should be verified at [www.stampsonline.gov.in](http://www.stampsonline.gov.in) or using e-Stamp Mobile App of Block Holding.
- The date of striking the lightning is on the reverse of the certificate.
- In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.





निष्ठा रामवती

मीरा यादव राजकुमार अर्पिता Deepmala



सौनिया

राजकुमार

विक्रय पत्र

अर्पिता

Vishal

कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम -फिरोजपुर उपरहार ÷, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल , अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण- .....



अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

|             |                      |                          |
|-------------|----------------------|--------------------------|
| गाटा संख्या | गाटा की यूनिट आई.डी. | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
| 167         | 1662690167000012     | 0.0190                   |

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.0127 हेक्

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

| गाटा संख्या | विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | पूरब      | पश्चिम    | उत्तर     | दक्षिण    |
|-------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 167         | 0.0127                           | गा0स0-213 | गा0स0-170 | गा0स0-152 | गा0स0-168 |

निष्ठा यादव

Deepmala, सौनिया, राजकुमार, अर्पिता, विशाल

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

| गाटा संख्या | विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | विक्रेता का नाम                                      | पिता/पति का नाम | विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में) | भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का 4 गुना | प्रतिफल की धनराशि |
|-------------|----------------------------------|--|-----------------|--------------------------------|---|-------------------|
| 1           | 2                                | 3  | 4               |                                | 7   | 8                 |
| 167         | 0.0127                           | रामरती   | राममूरत यादव    | 0.0008                         | 11200.00  | 11200.00          |
|             |                                  | मीरा देवी  | राममूरत यादव    | 0.0008                         | 11200.00  | 11200.00          |
|             |                                  | राजकुमार उर्फ राजकुमार यादव                          | राममूरत यादव    | 0.0008                         | 11200.00  | 11200.00          |
|             |                                  | बजरंगी यादव  | राममूरत यादव    | 0.0008                         | 11200.00  | 11200.00          |
|             |                                  | सोनिया   | राममूरत यादव    | 0.0008                         | 11200.00  | 11200.00          |
|             |                                  | गौरव नाबालिग आयु 14 वर्ष संरक्षिका रामरती माता स्वयं | राममूरत यादव    | 0.0008                         | 11200.00  | 11200.00          |
|             |                                  | सनी नाबालिग आयु 11 वर्ष संरक्षिका रामरती माता स्वयं  | राममूरत यादव    | 0.0008                         | 11200.00  | 11200.00          |
|             |                                  | सुमन नाबालिग आयु 4 वर्ष संरक्षिका रामरती माता स्वयं  | राममूरत यादव    | 0.0008                         | 11200.00  | 11200.00          |
|             |                                  | सुधमा  | रामसूरत यादव    | 0.00105                        | 14700.00  | 14700.00          |
|             |                                  | रामभवन यादव  | रामसूरत यादव    | 0.00105                        | 14700.00  | 14700.00          |
|             |                                  | त्रिभुवन यादव  | रामसूरत यादव    | 0.00105                        | 14700.00  | 14700.00          |

विक्रेता: रामरती, मीरा देवी, राजकुमार उर्फ राजकुमार यादव, बजरंगी यादव, सोनिया, गौरव नाबालिग आयु 14 वर्ष संरक्षिका रामरती माता स्वयं, सनी नाबालिग आयु 11 वर्ष संरक्षिका रामरती माता स्वयं, सुमन नाबालिग आयु 4 वर्ष संरक्षिका रामरती माता स्वयं, सुधमा, रामभवन यादव, त्रिभुवन यादव

उपस्थिति  
 विकास प्राधिकरण

राहुल  
 Vishal



|  |  |               |              |         |           |           |
|--|--|---------------|--------------|---------|-----------|-----------|
|  |  | दीपमाला       | रामसूरत यादव | 0.00105 | 14700.00  | 14700.00  |
|  |  | राहुल         | रामसूरत यादव | 0.00105 | 14700.00  | 14700.00  |
|  |  | विशाल<br>यादव | रामसूरत यादव | 0.00105 | 14700.00  | 14700.00  |
|  |  |               | योग          | 0.0127  | 177800.00 | 177800.00 |

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु. 12460.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण -

| विक्रेता का नाम                                      | पिता/पति का नाम | आधार संख्या  | पैन कार्ड संख्या | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय    | पता                            |
|--|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------|--------------------------------|
| 1  | 2               | 3            | 4                | 5            | 6          | 7                              |
| रामरती   | राममूरत यादव    | 750515459674 |                  | 9336355826   | ग्रहणी     | चिरानोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या। |
| मीरा देवी  | राममूरत यादव    | 555184219304 |                  | 9336355826   | मजदूरी     | चिरानोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या। |
| राजकुमार उर्फ राजकुमार यादव                          | राममूरत यादव    | 782717901137 |                  | 9336355826   | विद्यार्थी | चिरानोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या। |
| इजरंगी यादव  | राममूरत यादव    | 976789583281 |                  | 7459030309   | विद्यार्थी | चिरानोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या। |
| सोनिया   | राममूरत यादव    | 780030109943 |                  | 9336355826   | विद्यार्थी | चिरानोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या। |
| गौरव नाबालिग आयु 14 वर्ष संरक्षिका रामरती माता स्वयं | राममूरत यादव    |              |                  |              | विद्यार्थी | चिरानोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या। |
| सनी नाबालिग आयु 11 वर्ष संरक्षिका रामरती माता स्वयं  | राममूरत यादव    |              |                  |              | विद्यार्थी | चिरानोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या। |


  
 विक्रेता का नाम: रामरती, मीरा देवी, राजकुमार उर्फ राजकुमार यादव, इजरंगी यादव, सोनिया, गौरव नाबालिग आयु 14 वर्ष संरक्षिका रामरती माता स्वयं, सनी नाबालिग आयु 11 वर्ष संरक्षिका रामरती माता स्वयं

उपस्थित: उपस्थित, विकास प्राधिकरण, विशाल















|    |            |              |                                     |             |                |          |
|----|------------|--------------|-------------------------------------|-------------|----------------|----------|
| 13 | राहुल      | रामसूरत यादव | बैंक ऑफ बड़ोदा                      | BARB0SUCHIT | 55300100017255 | 14700.00 |
| 14 | विशाल यादव | रामसूरत यादव | बड़ोदा यू.पी. ग्रामीण बैंक अयोध्या। | BARB0BUPGBX | 55300100021296 | 14700.00 |
|    |            |              |                                     |             | <b>Total</b>   | 177800   |

कुल धनराशि शब्दों में— (एक लाख सत्तहतर हजार आठ सौ रुपये मात्र)

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है। इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो गद्दों को समक्ष हस्ताक्षर किया।

#### 14- साक्षी गण


प्रथम साक्षी विवरण -:

हस्ताक्षर



| नाम       | पिता/पति का नाम    | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता                              |
|-----------|--------------------|--------------|---------|----------------------------------|
| ओम प्रकाश | स्व० राजबली प्रसाद | 7607778903   | नीकरी   | अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। |

द्वितीय साक्षी विवरण -:













## अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

| खाता सं० | खसरा सं० | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए) | भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में) | भूमि पर खड़ी फसल |  |
|----------|----------|--------------------------|---|--|------------------|--|
|          |          |                          |   |  | विवरण            | मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में) |
| 01       | 02       | 03                       | 04  | 05   | 06               | 07                                     |
| 0033     | 167      | 0.01262                  |   | 177800.00                                      | -                | -                                      |

| भूबद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण |  | देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9) | व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण |                 |                                |
|-------------------------------|--|----------------------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| विवरण                         | मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में) |                                  | नाम   | पिता/पति का नाम | पता                            |
| 08                            | 09                                       | 10                               | 11  |                 |                                |
|                               |  | 177800.00                        | रामरती  | राममूरत यादव    | चिरामोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या। |
|                               |  |                                  | मीरा देवी   | राममूरत यादव    | चिरामोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या। |
|                               |  |                                  | राजकुमार उर्फ राजकुमार यादव                                     | राममूरत यादव    | चिरामोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या। |
|                               |  |                                  | बजरंगी यादव   | राममूरत यादव    | चिरामोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या। |
|                               |  |                                  | सोनिया  | राममूरत यादव    | चिरामोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या। |
|                               |  |                                  | गौरव नाबालिग आयु 14 वर्ष संरक्षिका रामरती माता स्वयं            | राममूरत यादव    | चिरामोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या। |
|                               |  |                                  | सनी नाबालिग आयु 11 वर्ष संरक्षिका                               | राममूरत यादव    | चिरामोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या। |

उप सचिव  
अयोध्या विभागत प्राधिकरण, अयोध्या

विभवनाथ  
Deemala

विभवनाथ  
सोनिया

विभवनाथ  
विभवनाथ

विभवनाथ  
विभवनाथ

विभवनाथ  
विभवनाथ



|  |  |  |   |              |                                  |
|--|--|--|---|--------------|----------------------------------|
|  |  |  | रामरती माता<br>स्वयं  |              |                                  |
|  |  |  | सुमन<br>नाबालिग<br>आयु 4 वर्ष<br>सरक्षिका<br>रामरती माता<br>स्वयं | रामसूरत यादव | चिरमोहम्मदपुर सोहावल<br>अयोध्या। |
|  |  |  | सुषमा   | रामसूरत यादव | चिरमोहम्मदपुर सोहावल<br>अयोध्या। |
|  |  |  | रामभवन<br>यादव  | रामसूरत यादव | चिरमोहम्मदपुर सोहावल<br>अयोध्या। |
|  |  |  | त्रिभुवन<br>यादव  | रामसूरत यादव | चिरमोहम्मदपुर सोहावल<br>अयोध्या। |
|  |  |  | दीपमाला   | रामसूरत यादव | चिरमोहम्मदपुर सोहावल<br>अयोध्या। |
|  |  |  | राहुल   | रामसूरत यादव | चिरमोहम्मदपुर सोहावल<br>अयोध्या। |
|  |  |  | विशाल<br>यादव   | रामसूरत यादव | चिरमोहम्मदपुर सोहावल<br>अयोध्या। |

नोट :- मैंने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

- भुखामी/भुखामियों के हस्ताक्षर

| क्र० सं० | नाम                            | पिता/पति का नाम | पता                              | हस्ताक्षर   |
|----------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|---|
| 1        | 2                              | 3               | 4                                | 5   |
| 1        | रामरती                         | रामसूरत यादव    | चिरमोहम्मदपुर सोहावल<br>अयोध्या। |  |
| 2        | मीरा देवी                      | रामसूरत यादव    | चिरमोहम्मदपुर सोहावल<br>अयोध्या। | मीरा देवी   |
| 3        | राजकुमार उर्फ<br>राजकुमार यादव | रामसूरत यादव    | चिरमोहम्मदपुर सोहावल<br>अयोध्या। | राजकुमार  |
| 4        | बजरंगी यादव                    | रामसूरत यादव    | चिरमोहम्मदपुर सोहावल<br>अयोध्या। | बजरंगी  |
| 5        | सोनिया                         | रामसूरत यादव    | चिरमोहम्मदपुर सोहावल<br>अयोध्या। | सोनिया  |







  
 Deo Ananda      सोनिया      राजकुमार      बजरंगी      राहुल      विशाल  
 अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

विक्रय पत्र

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6593

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 177800 स्टाम्प शुल्क- 12460 बाजारी मूल्य- 178000 पंजीकरण शुल्क - 1780 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग: 1880

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा  
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,  
पुत्र श्री स्व राजबली प्रसाद  
व्यवसाय : नौकरी  
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या



स्वर्णिम राज अधिकृत  
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 09/10/2023 एवं  
06:48:26 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।






रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र०  
उप निबंधक :सोहावल  
अयोध्या  
09/10/2023

निबंधक लिपिक  
09/10/2023

प्रिंट करें



|    |   |              |                                  |   |
|----|---|--------------|----------------------------------|---|
| 6  | गौरव नाबालिग<br>आयु 14 वर्ष<br>संरक्षिका रामरती<br>माता स्वयं | राममूरत यादव | चिरमोहम्मदपुर सोहावल<br>अयोध्या। |                |
| 7  | सनी नाबालिग<br>आयु 11 वर्ष<br>संरक्षिका रामरती<br>माता स्वयं  | राममूरत यादव | चिरमोहम्मदपुर सोहावल<br>अयोध्या। |                |
| 8  | सुमन नाबालिग<br>आयु 4 वर्ष<br>संरक्षिका रामरती<br>माता स्वयं  | राममूरत यादव | चिरमोहम्मदपुर सोहावल<br>अयोध्या। |                |
| 9  | सुषमा   | रामसूरत यादव | चिरमोहम्मदपुर सोहावल<br>अयोध्या। | <br>1-8-2024   |
| 10 | रामभवन यादव   | रामसूरत यादव | चिरमोहम्मदपुर सोहावल<br>अयोध्या। | <br>रामभवन     |
| 11 | त्रिभुवन यादव   | रामसूरत यादव | चिरमोहम्मदपुर सोहावल<br>अयोध्या। | <br>त्रिभुवन   |
| 12 | दीपमाला   | रामसूरत यादव | चिरमोहम्मदपुर सोहावल<br>अयोध्या। | <br>Deepmala |
| 13 | राहुल   | रामसूरत यादव | चिरमोहम्मदपुर सोहावल<br>अयोध्या। | <br>राहुल    |
| 14 | विशाल यादव  | रामसूरत यादव | चिरमोहम्मदपुर सोहावल<br>अयोध्या। | <br>vishal   |

गवाह / अभिसाक्षी

उपस्थित  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

| नाम | पिता/पति | मोबाइल | व्यवसाय | पता | हस्ताक्षर |
|-----|----------|--------|---------|-----|-----------|
|-----|----------|--------|---------|-----|-----------|

  
रामभवन  
  
अमर  
  
Deepmala  
  
अमर  
  
रामभवन  
  
अमर  
  
रामभवन

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री स्व राजबली प्रसाद

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या  
व्यवसाय: नौकरी



ने निष्पादन स्वीकार किए। जिनकी पहचान पहचानकर्ता : 1

श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबली प्रसाद


निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या  
व्यवसाय: नौकरी



पहचानकर्ता : 2

श्री रामनरेश यादव, पुत्र श्री कामला प्रसाद यादव

निवासी: पूरे भवानी विरा मोहम्मदपुर तह0 सोहावल अयोध्या  
व्यवसाय: व्यापार



रामनरेश यादव

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र०

उप निबंधक : सोहावल  
अयोध्या

09/10/2023

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।  
टिप्पणी:

निबंधक लिपिक अयोध्या  
09/10/2023

प्रिंट करें




|           | का नाम             | नम्बर      |       |                                  |   |
|-----------|--------------------|------------|-------|----------------------------------|---|
| 1         | 2                  | 3          | 4     | 5                                | 6 |
| ओम प्रकाश | स्व0 राजबली प्रसाद | 7607778903 | नौकरी | अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। |   |

गवाह / अभिसाक्षी

| नाम       | पिता/पति का नाम    | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता                     | हस्ताक्षर |
|-----------|--------------------|--------------|---------|-------------------------|-----------|
| 1         | 2                  | 3            | 4       | 5                       | 6         |
| रामनेशकाश | कामताप्रसाद<br>लाल | 9931199177   | कृषि    | अयोध्या विकास प्राधिकरण | रामनेशकाश |

क्रय निकाय की ओर से अधिकृत,  
(स्वर्णिम राज)  
उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण,  
अयोध्या।

 निशा राजवनी  
 निशा प्रसाद  
 राजकुमार  
 राजवनी  
 निशा प्रसाद  
 निशा प्रसाद  
 रामकुमार  
 निशा प्रसाद  
 Deepmala  
 राहुल  
 Vishal

  
 उपसचिव  
 अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

श्रीमती सनी नाबालिग के द्वारा रामरती, पत्नी श्री राममूरत यादव

निवासी: चिरामोहम्मदपुर तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: गृहिणी

विक्रेता: 8



श्री सुमन नाबालिग के द्वारा रामरती, पुत्र श्री राममूरत यादव

निवासी: चिरामोहम्मदपुर तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: गृहिणी

विक्रेता: 9




श्रीमती सुषमा, पत्नी श्री रामसूरत यादव

निवासी: चिरामोहम्मदपुर तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: गृहिणी

विक्रेता: 10



श्री त्रिभुवन यादव, पुत्र श्री रामसूरत यादव

निवासी: चिरामोहम्मदपुर तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 11

त्रिभुवन यादव



कुमारी दीपमाला, पुत्री श्री राम सूरत यादव

निवासी: चिरामोहम्मदपुर तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: गृहिणी

विक्रेता: 12

Deepmala



श्री राहुल, पुत्र श्री रामसूरत यादव

निवासी: चिरामोहम्मदपुर तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 13

राहुल



श्री विशाल यादव, पुत्र श्री रामसूरत यादव

निवासी: चिरामोहम्मदपुर तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 14

Vishal



श्री राम भवन, पुत्र श्री रामसूरत यादव

निवासी: चिरामोहम्मदपुर तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 1

राम भवन





बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6593

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त  
विक्रेता: 1

श्रीमती रामरती, पत्नी श्री राममूरत यादव  
निवासी: चिरमोहम्मदपुर तह० सोहावल अयोध्या  
व्यवसाय: गृहिणी  
विक्रेता: 2



कुमारी मीरा देवी, पत्नी श्री राम मूरत यादव  
निवासी: चिरमोहम्मदपुर तह० सोहावल अयोध्या  
व्यवसाय: गृहिणी  
विक्रेता: 3 मीरा यादव




श्री राज कुमार उर्फ राजकुमार यादव, पुत्र श्री राम मूरत यादव  
निवासी: चिरमोहम्मदपुर तह० सोहावल अयोध्या  
व्यवसाय: व्यापार  
विक्रेता: 4 राजकुमार



श्री बजरंगी यादव, पुत्र श्री राम मूरत यादव  
निवासी: चिरमोहम्मदपुर तह० सोहावल अयोध्या  
व्यवसाय: अध्यापन  
विक्रेता: 5 बजरंगी



कुमारी सोनिया, पुत्री श्री राममूरत यादव  
निवासी: चिरमोहम्मदपुर तह० सोहावल अयोध्या  
व्यवसाय: अध्यापन  
विक्रेता: 6 सोनिया




श्रीमती गौरव नाबालिग के द्वारा रामरती, पत्नी श्री राममूरत  
निवासी: चिरमोहम्मदपुर तह० सोहावल अयोध्या  
व्यवसाय: गृहिणी  
विक्रेता: 7



Handwritten signature or mark.

|  |               |              |         |               |
|--|---------------|--------------|---------|---------------|
|  | त्रिभुवन यादव | रामसूरत यादव | 0.00105 | त्रिभुवन यादव |
|  | दीपमाला       | रामसूरत यादव | 0.00105 | Deepmala      |
|  | राहुल         | रामसूरत यादव | 0.00105 | राहुल         |
|  | विशाल यादव    | रामसूरत यादव | 0.00105 |               |

निष्पादन का दिनांक:-  
स्थान - सोहावल, अयोध्या।



आवेदन सं०: 202300904008052

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3153 के पृष्ठ 257 से 288 तक क्रमांक  
6593 पर दिनांक 09/10/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
प्रदीप कुमार प्र०  
उप निबंधक : सोहावल  
अयोध्या  
09/10/2023





INDIA NON JUDICIAL



N-UP37674642898749V

Government of Uttar Pradesh

116

e-Stamp

6592



Certificate No.

IN-UP37674642898749V

Certificate Issued Date

09-Oct-2023 05:43 PM

Account Reference

NEWIMPACC (SV) up14146004/ SOHAWAL/ UP-FZB

Unique Doc. Reference

SUBIN-UPUP1414600468052098116998V

Purchased by

AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA

Description of Document

Article 23 Conveyance

Property Description

GATA NO-130 MAUJA FIROZPUR UPARHAR PAR-MAGALSI TEH-SOHAWAL DISTT-AYODHYA

Consideration Price (Rs.)

VIJAY KUMAR YADAV SO JAGDEESH PRASAD YADAV AND OTH

First Party

AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA

Second Party

AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA

Stamp Duty Paid By

20,020

Stamp Duty Amount(Rs.)

(Twenty Thousand And Twenty only)



Please write or type below this line

विजय कुमार यादव  
२

सरोध कुमार  
उपस्थित  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

FD 0013443537

Statutory Alert:

1. The authenticity of E-stamp documents should be verified at [www.ustrusts.com](http://www.ustrusts.com) or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding Corp. if necessary in the absence of the Certificates and as available on the website / Mobile App send it to us.
2. The duty of checking the authenticity is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Custodian Authority.





विजय कुमार



सुरेश कुमार



अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

### विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु यशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम -फिरोजपुर उपरहार ÷, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल , अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण- .....

|             |                      |                          |
|-------------|----------------------|--------------------------|
| गाटा संख्या | गाटा की यूनिट आई.डी. | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
| 130         | 1662690130000012     | 0.0520                   |

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.013 हेक्0

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहददी

| गाटा संख्या | विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | पूरब               | पश्चिम     | उत्तर       | दक्षिण             |
|-------------|----------------------------------|--------------------|------------|-------------|--------------------|
| 130         | 0.013                            | चकमार्ग गा0सं0-135 | गा0सं0-131 | गा0सं0- 130 | चकमार्ग गा0सं0-132 |

सुरेश कुमार



विजय कुमार

उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

No/0



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

| गाटा संख्या | विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | विक्रेता का नाम                   | पिता/पति का नाम              | विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में) | भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का 4 गुना | प्रतिफल की धनराशि |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|-------------------|
| 1           | 2                                | 3                                 | 4                            |                                | 7   | 8                 |
| 130         | 0.013                            | संतोष कुमार उर्फ संतोष कुमार यादव | जगदीश प्रसाद उर्फ जगदीश यादव | 0.0065                         | 143000.00                                       | 143000.00         |
|             |                                  | विजय कुमार यादव                   | जगदीश प्रसाद उर्फ जगदीश यादव | 0.0065                         | 143000.00                                       | 143000.00         |
|             |                                  |                                   | योग                          | 0.013                          | 286000.00                                       |                   |

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु. 20020.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण - .....

| विक्रेता का नाम                   | पिता/पति का नाम              | आधार संख्या  | पैन कार्ड संख्या | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता                             |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|------------------|--------------|---------|---------------------------------|
| 1                                 | 2                            | 3            | 4                | 5            | 6       | 7                               |
| संतोष कुमार उर्फ संतोष कुमार यादव | जगदीश प्रसाद उर्फ जगदीश यादव | 281852425251 |                  | 9198655529   | कृषि    | फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या। |
| विजय कुमार यादव                   | जगदीश प्रसाद उर्फ जगदीश यादव | 916136161192 | BNHPY8657A       | 7985137158   | कृषि    | फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या। |

10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण- .....

| क्रेता का नाम  | पिता/पति का नाम | आधार संख्या | पैन कार्ड संख्या | मोबाइल नम्बर | पदनाम                                   | पता                              |
|--|-----------------|-------------|------------------|--------------|---|----------------------------------|
| 1  | 2               | 3           | 4                | 5            | 6                                       | 7                                |
| अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज उपसचिव विकास प्राधिकरण अयोध्या। | श्री शरद कुमार  |             | AAALA0206<br>C   | 7607778911   | उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। | अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। |

सन्तोष कुमार

शरद कुमार

उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



18

11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।
- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

अभिकथन का विवरण -

सन्तोष कुमार

विपय कुमार यादव

उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



| क्र. 0 | विक्रेता का नाम                 | पिता/पति का नाम              | बैंक का नाम / शाखा का नाम | IFSC Code   | खाता संख्या      | धनराशि   |
|--------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|------------------|----------|
| 1      | 2                               | 3                            | 4                         | 5           | 6                | 7        |
| 1      | सतोष कुमार उर्फ सतोष कुमार शादव | जगदीश प्रसाद उर्फ जगदीश शादव | कैनरा बैंक अयोध्या        | CNRB0001841 | 1641101056595    | 143000.0 |
| 2      | विजय कुमार शादव                 | जगदीश प्रसाद उर्फ जगदीश शादव | पंजाब नेशनल बैंक          | PUNB0991800 | 9918000100076023 | 143000.0 |

कुल धनराशि शब्दों में- ( दो लाख छियासी हजार रुपये मात्र)

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में दाव दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है। इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो गवोहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

#### 14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

| नाम       | पिता/पति का नाम    | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता                              |
|-----------|--------------------|--------------|---------|----------------------------------|
| ओम प्रकाश | स्व0 राजवती प्रसाद | 7607778903   | नौकरी   | अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। |

द्वितीय साक्षी विवरण :-



साक्षी  
विजय कुमार शादव

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



हस्ताक्षर

| नाम | पिता/पति का नाम | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता |
|-----|-----------------|--------------|---------|-----|
|     |                 |              |         |     |

शासनादेश संख्या -राजस्व अनुभाग -13 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी /भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात् भूस्वामी कहा गया है) और:

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात् क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत हैं/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।

और चूंकि भूस्वामी अग्रतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवद्ध कोई बात या भूवद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकती। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-

- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति

स. राजेश कुमार  
मि. राजेश कुमार  
11/4/15

उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या





आवेदन सं०: 202300904008010

विक्रय पत्र

पृथी सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6592

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 286000 स्टाम्प शुल्क- 20020 बाजारी मूल्य - 286000 पंजीकरण शुल्क - 2860 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग: 2920

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या द्वारा  
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,  
पुत्र श्री शरद कुमार  
व्यवसाय: नौकरी  
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या



श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या द्वारा

स्वर्णिम राज अधिकृत  
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 09/10/2023 एवं  
06:19:35 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र०  
उप निबंधक, सोहनल  
अयोध्या  
09/10/2023

निबंधक लिपिक  
09/10/2023

प्रिंट करें



ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

| खाता सं० | खसरा सं० | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (घारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए) | भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में) | भूमि पर खड़ी फसल |  |
|----------|----------|--------------------------|---|--|------------------|--|
|          |          |                          |   |  | विवरण            | मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में) |
| 01       | 02       | 03                       | 04  | 05   | 06               | 07                                     |
| 0028     | 130      | 0.013                    |   | 286000.00                                      | -                | -                                      |

| भूदंड अन्य सम्पत्ति का विवरण | मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में) | देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9) | व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण |                              |                                 |
|------------------------------|--|----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|
|                              |  |                                  | नाम   | पिता/पति का नाम              | पता                             |
| 08                           | 09                                       | 10                               | 11  |                              |                                 |
|                              |  | 143000.00                        | संतोष कुमार उर्फ संतोष कुमार यादव                               | जगदीश प्रसाद उर्फ जगदीश यादव | फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या। |
|                              |  | 143000.00                        | विजय कुमार यादव   | जगदीश प्रसाद उर्फ जगदीश यादव | फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या। |

नोट :- मैंने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

- भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

| क्र० सं० | नाम                               | पिता/पति का नाम              | पता                             | हस्ताक्षर       |
|----------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1        | 2                                 | 3                            | 4                               | 5               |
| 1        | संतोष कुमार उर्फ संतोष कुमार यादव | जगदीश प्रसाद उर्फ जगदीश यादव | फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या। | संतोष कुमार     |
| 2        | विजय कुमार यादव                   | जगदीश प्रसाद उर्फ जगदीश यादव | फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या। | विजय कुमार यादव |

संतोष कुमार

विजय कुमार यादव

उपस्थित  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

श्री राहुद, पुत्र श्री राम मूरत

निवासी: चिरा मोहम्मदपुर तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार



राहुद

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र०

उप निबंधक : सोहावल  
अयोध्या

09/10/2023

निबंधक लिपिक अयोध्या

09/10/2023

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार  
लिए गए हैं।  
टिप्पणी :

प्रिंट करें



गवाह / अभिसाक्षी

| नाम       | पिता/पति का नाम    | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता                              | हस्ताक्षर   |
|-----------|--------------------|--------------|---------|----------------------------------|---|
| 1         | 2                  | 3            | 4       | 5                                |   |
| ओम प्रकाश | स्व० राजबली प्रसाद | 7607778903   | नौकरी   | अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। |  |

गवाह / अभिसाक्षी

| नाम   | पिता/पति का नाम | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता                              | हस्ताक्षर |
|-------|-----------------|--------------|---------|----------------------------------|-----------|
| 1     | 2               | 3            | 4       | 5                                | 6         |
| राहुल | रामेश्वर        | 9005178528   | कृषि    | अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। | राहुल     |

क्रय निकाय की ओर से अधिकृत,  
(स्वर्णिम राज)  
उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण,  
अयोध्या।

रमेश कुमार  
  
  
रमेश कुमार पांडे

  
उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904008010

दही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6592

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त  
विक्रेता: 1

श्री संतोष कुमार उर्फ संतोष कुमार यादव, पुत्र श्री जगदीश  
प्रसाद उर्फ जगदीश यादव

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 2

संतोष कुमार



श्री विजय कुमार यादव, पुत्र श्री जगदीश प्रसाद उर्फ जगदीश  
यादव

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 1

विजय कुमार यादव



श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या के द्वारा स्वर्णिम राज,  
पुत्र श्री शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान  
पहचानकर्ता : 1



श्री ओम प्रकाश , पुत्र श्री स्व राजवली प्रसाद

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता : 2

Om



Handwritten signature

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु घयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

| गाटा सं० | विक्रेता का नाम                   | पिता/पति का नाम              | विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल | शपथकर्ता के हस्ताक्षर |
|----------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1        | 2                                 | 3                            | 4                                 | 5                     |
| 130      | संतोष कुमार उर्फ संतोष कुमार यादव | जगदीश प्रसाद उर्फ जगदीश यादव | 0.0065                            | संतोष कुमार           |
| 130      | विजय कुमार यादव                   | जगदीश प्रसाद उर्फ जगदीश यादव | 0.0065                            | विजय कुमार            |

निष्पादन का दिनांक:- 09/10/2023  
स्थान - सोहावल, अयोध्या।

संतोष कुमार  
विजय कुमार यादव

उप निधिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904008010

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3153 के पृष्ठ 237 से 256 तक क्रमांक  
6592 पर दिनांक 09/10/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



प्रदीप कुमार प्र०  
उप निबंधक : सोहावल  
अयोध्या  
09/10/2023





INDIA NON JUDICIAL



Government of Uttar Pradesh

IN-UP37528049570357V


117

e-Stamp

6596



Certificate No. : IN-UP37528049570357V ✓  
 Certificate Issued Date : 09-Oct-2023 04:22 PM  
 Account Reference : NEWIMPACC (SV) up14148004/ SOHAWAL/UP-FZB  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1414800470665852774865V  
 Purchased by : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Description of Document : Article 23 Conveyance  
 Property Description : GATA NO-119 AND OTHERS MAUJA-FIROZPUR UPARHAR PAR-MAGALSI TEH-SOHAWAL DISTT-AYODHYA  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : SURENDRA PRATAP SO RAM SUKH AND OTHERS  
 Second Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Stamp Duty Paid By : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 7,57,680  
 (Seven Lakh Filty Seven Thousand Six Hundred And Eighty only)



Please write or type below this line

द्वारा प्रमाणित

सुरेन्द्र प्रताप सोराम सुख  
सादर

धर्म सुभाषा 69

उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



0013443535

Statutory Alert:

1. The authenticity of the Stamp certificate should be checked at [www.ayodhya.gov.in](http://www.ayodhya.gov.in) or use the Ayodhya Mobile App or check through any other official site related to the Certificate and be available on the website [www.ayodhya.gov.in](http://www.ayodhya.gov.in).
2. The time of checking the legitimacy is on the date of the certificate.
3. In case of any discrepancy, please inform the Competent Authority.



8049

दशवारी



ब



सुरेन्द्र



सुरेन्द्र

1/15/20



उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

## विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम -फिरोजपुर उपरहार +, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल , अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण- .....

| गाटा संख्या | गाटा की यूनिट आई.डी. | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
|-------------|----------------------|--------------------------|
| 119         | 1662690119000012     | 0.2290                   |
| 120         | 1662690120000012     | 0.1050                   |
| 121         | 1662690121000012     | 0.2280                   |

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.4920 हेक्टेयर



दशवारी लाल शर्मा



सुरेन्द्र शर्मा



सुरेन्द्र शर्मा यादव

उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

100



## 6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी-

| गाटा संख्या | विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | पूरब                       | पश्चिम                      | उत्तर           | दक्षिण          |
|-------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 119         | 0.2290                           | चकमार्ग सीमा ग्राम सलारपुर | चकमार्ग गाटा संख्या 116/305 | गाटा संख्या-118 | गाटा संख्या-120 |
| 120         | 0.0350                           | चकमार्ग सीमा ग्राम सलारपुर | चकमार्ग गाटा संख्या 116/305 | गाटा संख्या-119 | गाटा संख्या-121 |
| 121         | 0.2280                           | चकमार्ग सीमा ग्राम सलारपुर | चकमार्ग गाटा संख्या 116/305 | गाटा संख्या-120 | गाटा संख्या-122 |

## 7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

| गाटा संख्या | विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | विक्रेता का नाम                             | पिता/पति का नाम         | विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में) | भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का (रु० हेक्टेयर) (सकिल दर का 4 गुना) | प्रतिफल की धनराशि     |
|-------------|----------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|
| 1           | 2                                | 3   | 4                       |                                | 7   | 8                     |
| 119         | 0.2290                           | दरबारीलाल उर्फ दरबारीलाल यादव               | रामसुख उर्फ रामसुख यादव | 0.076333                       | 16,79,326.00  | 16,79,326.00          |
|             |                                  | सुरेन्द्र प्रताप उर्फ सुरेन्द्र प्रताप यादव | रामसुख उर्फ रामसुख यादव | 0.076333                       | 16,79,326.00  | 16,79,326.00          |
|             |                                  | धर्मनन्द कुमार उर्फ धर्मनन्द यादव           | रामसुख उर्फ रामसुख यादव | 0.076333                       | 16,79,326.00  | 16,79,326.00          |
| 120         | 0.0350                           | दरबारीलाल उर्फ दरबारीलाल यादव               | रामसुख उर्फ रामसुख यादव | 0.011666                       | 2,56,652.00   | 2,56,652.00           |
|             |                                  | सुरेन्द्र प्रताप उर्फ सुरेन्द्र प्रताप यादव | रामसुख उर्फ रामसुख यादव | 0.011666                       | 2,56,652.00   | 2,56,652.00           |
|             |                                  | धर्मनन्द कुमार उर्फ धर्मनन्द यादव           | रामसुख उर्फ रामसुख यादव | 0.011666                       | 2,56,652.00   | 2,56,652.00           |
| 121         | 0.2280                           | दरबारीलाल उर्फ दरबारीलाल यादव               | रामसुख उर्फ रामसुख यादव | 0.0760                         | 16,72,000.00  | 16,72,000.00          |
|             |                                  | सुरेन्द्र प्रताप उर्फ सुरेन्द्र प्रताप यादव | रामसुख उर्फ रामसुख यादव | 0.0760                         | 16,72,000.00  | 16,72,000.00          |
|             |                                  | धर्मनन्द कुमार उर्फ धर्मनन्द यादव           | रामसुख उर्फ रामसुख यादव | 0.0760                         | 16,72,000.00  | 16,72,000.00          |
|             |                                  |   | <b>योग-</b>             | <b>0.4920</b>                  | <b>1,08,23,934.00</b>   | <b>1,08,23,934.00</b> |

## 8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु० 7,57,680.00

  
दरबारी लाल यादव

  
सुरेन्द्र प्रताप यादव

  
धर्मनन्द कुमार यादव

  
धर्मनन्द कुमार यादव



## 9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण - .....

| विक्रेता का नाम                             | पिता/पति का नाम         | आधार संख्या    | पैन कार्ड संख्या | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता  |
|---|-------------------------|----------------|------------------|--------------|---------|--|
| 1   | 2                       | 3              | 4                | 5            | 6       | 7  |
| वरवारीलाल उर्फ वरवारीलाल यादव               | रामसुख उर्फ रामसुख यादव | 6675 5546 6622 | AMCPY9734D       | 99365566812  | कृषि    | थिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या   |
| सुरेन्द्र प्रताप उर्फ सुरेन्द्र प्रताप यादव | रामसुख उर्फ रामसुख यादव | 9855 9071 5091 | AJCPY9435E       | 9701447589   | नौकरी   | थिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या   |
| धर्मेन्द्र कुमार उर्फ धर्मेन्द्र यादव       | रामसुख उर्फ रामसुख यादव | 6816 2180 3427 | ACRPY1888P       | 9949855410   | व्यापार | म0न0 12-5-16 मालवी नगर बालानगर भूसापेट रंगारेड्डी आन्ध्र प्रदेश-500018 |

## 10- क्रेता (द्वितीय पक्ष ) का विवरण- .....

| क्रेता का नाम  | पिता/पति का नाम | आधार संख्या | पैन कार्ड संख्या | मोबाइल नम्बर | पदनाम                                   | पता                              |
|--|-----------------|-------------|------------------|--------------|---|----------------------------------|
| 1  | 2               | 3           | 4                | 5            | 6                                       | 7                                |
| अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज, उपसचिव, अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। | श्री शरद कुमार  | -           | AAALA0206C       | 7607778911   | उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। | अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। |

## 11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।

वरवारीलाल यादव

सुरेन्द्र प्रताप यादव

धर्मेन्द्र कुमार यादव

उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

100



100

- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 / 1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।
- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआयजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

## 12- भुगतान का विवरण -

| क्र० | विक्रेता का नाम                             | पिता/पति का नाम         | बैंक का नाम / शाखा का नाम | IFSC Code   | खाता संख्या    | धनराशि         |
|------|---|-------------------------|---------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 1    | 2   | 3                       | 4                         | 5           | 6              | 7              |
| 1    | दरबारीलाल उर्फ दरबारीलाल यादव               | रामसुख उर्फ रामसुख यादव | Baroda U.P. Bank          | BARB0BUPGBX | 55300100000483 | 36,07,978.00   |
| 2    | सुरेन्द्र प्रताप उर्फ सुरेन्द्र प्रताप यादव | रामसुख उर्फ रामसुख यादव | Bank of Baroda            | BARB0NAKFAI | 16020100004950 | 36,07,978.00   |
| 3    | धर्मेन्द्र कुण्डर उर्फ धर्मेन्द्र यादव      | रामसुख उर्फ रामसुख यादव | ICICI Bank                | ICIC0001118 | 111601508864   | 36,07,978.00   |
|      |   |                         |                           | Total :     |                | 1,08,23,934.00 |

कुल धनराशि शब्दों में- ( एक करोड़ आठ लाख तेईस हजार नौ सौ चौतीस रुपये मात्र )

दरबारीलाल यादव सुरेन्द्र प्रताप यादव

धर्मेन्द्र कुण्डर

उपस्थित  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो गवोहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

#### 14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

| नाम       | पिता/पति का नाम    | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता                              |
|-----------|--------------------|--------------|---------|----------------------------------|
| ओम प्रकाश | स्व० राजबली प्रसाद | 7607778903   | नौकरी   | अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। |



द्वितीय साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

| नाम         | पिता/पति का नाम | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय    | पता                             |
|-------------|-----------------|--------------|------------|---------------------------------|
| अभिषेक यादव | दरबारी लाल यादव | 9473728911   | विद्यार्थी | चिरां मोहम्मदपुर सोनामल अयोध्या |



ओम



दरबारी लाल यादव सुरेन्द्र प्रताप यादव



9473728911

अभिषेक यादव



शासनादेश संख्या -राजस्व अनुभाग -13 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी /भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्द्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात् भूस्वामी कहा गया है) और:

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात् क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्द्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।

और चूंकि भूस्वामी अग्रेतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवद्द कोई बात या भूवद्द किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेंगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्द्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-

- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रिय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्त और पृथकतः) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चात्तवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।

  
दरबारी लखनऊ



कर्मचारी भुगतान विभाग

  
सुरेन्द्र प्रताप यादव

  
उप निदेशक  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, लखनऊ



- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।
- (6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।
- (7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
- (8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।
  - (i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।
  - (ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
  - (iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।



देवराज लाल पांडा



सुरेन्द्र प्रताप यादव

  
अनिल कुमार



अनिल कुमार



## अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

| खाता सं० | खसरा सं० | विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए) | भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में) | भूमि पर खड़ी फसल |  |
|----------|----------|----------------------------------|---|--|------------------|--|
|          |          |                                  |   |  | विवरण            | मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में) |
| 01       | 02       | 03                               | 04  | 05   | 06               | 07                                     |
| 44       | 119      | 0.2290                           | -   | 36,07,978.00                                   | -                | -                                      |
| 113      | 120      | 0.0350                           | -   | 36,07,978.00                                   | -                | -                                      |
| 45       | 121      | 0.2280                           | -   | 36,07,978.00                                   | -                | -                                      |

| भूवद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण |  | देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9) | व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण |                         |   |
|-------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------------|---|
| विवरण                         | मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में) |                                  | नाम   | पिता/पति का नाम         | पता   |
| 08                            | 09                                       | 10                               | 11  |                         |   |
| -                             | -  | 36,07,978.00                     | दरबारीलाल उर्फ दरबारीलाल यादव                                   | रामसुख उर्फ रामसुख यादव | चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या  |
| -                             | -  | 36,07,978.00                     | सुरेन्द्र प्रताप उर्फ सुरेन्द्र प्रताप यादव                     | रामसुख उर्फ रामसुख यादव | चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या  |
| -                             | -  | 36,07,978.00                     | धर्मेन्द्र कुमार उर्फ धर्मेन्द्र यादव                           | रामसुख उर्फ रामसुख यादव | गठन० 12-5-15 मालवी नगर बालानगर मूसपेट रंगारेड्डी आन्ध्र प्रदेश-500018 |

दरबारीलाल यादव

सुरेन्द्र प्रताप यादव

धर्मेन्द्र कुमार यादव

सप  
अवोचक विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904008049

चिक्रप पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6590

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 10823934 स्टाम्प शुल्क- 757680 बाजारी मूल्य - 10824000 पंजीकरण शुल्क - 108240 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग: 108320

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा  
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,  
पुत्र श्री शरद कुमार  
व्यवसाय: नौकरी  
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या



स्वर्णिम राज अधिकृत  
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 09/10/2023 एवं  
05:00:58 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र०  
उप निबंधक :सौहावरा  
अयोध्या  
09/10/2023

निबंधक लिपिक  
09/10/2023

प्रिंट करें



नोट :- मैने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

• भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

| क्र० सं० | नाम   | पिता/पति का नाम         | पता  | हस्ताक्षर             |
|----------|---|-------------------------|--|-----------------------|
| 1        | 2   | 3                       | 4  | 5                     |
| 1        | दरबारीलाल उर्फ दरबारीलाल यादव               | रामसुख उर्फ रामसुख यादव | विले मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या   | दरबारी लाल यादव       |
| 2        | सुरेन्द्र प्रताप उर्फ सुरेन्द्र प्रताप यादव | रामसुख उर्फ रामसुख यादव | विले मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या   | सुरेन्द्र प्रताप यादव |
| 3        | धर्मन्य कुमार उर्फ धर्मन्य यादव             | रामसुख उर्फ रामसुख यादव | मकानो 12-5-15 मारुवी नगर बालानगर नुसापेट रंगारेड्डी आन्ध्र प्रदेश-500018 | धर्मन्य कुमार यादव    |

गवाह /अभिसाक्षी

| नाम       | पिता/पति का नाम    | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता                              | हस्ताक्षर |
|-----------|--------------------|--------------|---------|----------------------------------|-----------|
| 1         | 2                  | 3            | 4       | 5                                | 6         |
| ओम प्रकाश | स्व० राजबली प्रसाद | 7607778903   | नौकरी   | अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। |           |

   
दरबारी लाल यादव सुरेन्द्र प्रताप यादव

  
धर्मन्य कुमार यादव

  
अभिषेक सिंह प्रसाद, अयोध्या

श्री अभिषेक यादव, पुत्र श्री दरबारी लाल यादव  
निवासी: चिरा मोहम्मदपुर तह0 सोहावल अयोध्या  
व्यवसाय: अध्वपन

अभिषेक यादव



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र०

उप निबंधक : सोहावल  
अयोध्या

09/10/2023

निबंधक लिपिक अयोध्या  
09/10/2023

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार  
लिए गए हैं।  
टिप्पणी:

प्रिंट करें



गवाह / अनिसाही

| नाम         | पिता/पति का नाम | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय    | पता                            | हस्ताक्षर   |
|-------------|-----------------|--------------|------------|--------------------------------|-------------|
| 1           | 2               | 3            | 4          | 5                              | 6           |
| अनिकेत यादव | दरबारी लाल यादव | 9473728911   | विद्यार्थी | मिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या | अनिकेत यादव |

क्रय निकाय की ओर से अधिकृत,  
(स्वर्णिम राज)  
उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण,  
अयोध्या।

  
दरबारी लाल यादव  
  
सुरेन्द्र प्रताप यादव  
  
21/12/2019

  
उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6590

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उपर  
विक्रेता: 1

श्री दरबारी लाल उर्फ दरबारीलाल यादव, पुत्र श्री रामसुख उर्फ  
रामसुख यादव

निवासी: चिरा मोहम्मदपुर तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 2

दरबारी लाल यादव



श्री सुरेन्द्र प्रताप उर्फ सुरेन्द्र प्रताप यादव, पुत्र श्री राम सुख उर्फ  
राम सुख यादव

निवासी: चिरा मोहम्मदपुर तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

विक्रेता: 3

सुरेन्द्र प्रताप यादव



श्री धर्मेन्द्र कुमार उर्फ धर्मेन्द्र यादव, पुत्र श्री राम सुख उर्फ राम  
सुख यादव

निवासी: चिरा मोहम्मदपुर तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 1

धर्मेन्द्र कुमार यादव



श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री  
शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान  
पहचानकर्ता: 1



श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबली प्रसाद

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2



Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

| गाटा सं० | विक्रेता का नाम                             | पिता/पति का नाम         | विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल | शपथकर्ता के हस्ताक्षर |
|----------|---|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1        | 2   | 3                       | 4                                 | 5                     |
| 119      | बरबारीलाल उर्फ दरबारीलाल यादव               | रामसुख उर्फ रामसुख यादव | 0.2290                            | दरबारी लाल यादव       |
|          | सुरेन्द्र प्रताप उर्फ सुरेन्द्र प्रताप यादव | रामसुख उर्फ रामसुख यादव | 0.2290                            | सुरेन्द्र प्रताप यादव |
|          | धर्मेन्द्र कुमार उर्फ धर्मेन्द्र यादव       | रामसुख उर्फ रामसुख यादव | 0.2290                            | धर्मेन्द्र कुमार यादव |
| 120      | दरबारीलाल उर्फ दरबारीलाल यादव               | रामसुख उर्फ रामसुख यादव | 0.0350                            | दरबारी लाल यादव       |
|          | सुरेन्द्र प्रताप उर्फ सुरेन्द्र प्रताप यादव | रामसुख उर्फ रामसुख यादव | 0.0350                            | सुरेन्द्र प्रताप यादव |
|          | धर्मेन्द्र कुमार उर्फ धर्मेन्द्र यादव       | रामसुख उर्फ रामसुख यादव | 0.0350                            | धर्मेन्द्र कुमार यादव |
| 121      | दरबारीलाल उर्फ दरबारीलाल यादव               | रामसुख उर्फ रामसुख यादव | 0.2280                            | दरबारी लाल यादव       |
|          | सुरेन्द्र प्रताप उर्फ सुरेन्द्र प्रताप यादव | रामसुख उर्फ रामसुख यादव | 0.2280                            | सुरेन्द्र प्रताप यादव |
|          | धर्मेन्द्र कुमार उर्फ धर्मेन्द्र यादव       | रामसुख उर्फ रामसुख यादव | 0.2280                            | धर्मेन्द्र कुमार यादव |

निष्पादन का दिनांक:- 09/10/23  
स्थान - सोहावल, अयोध्या।



  
 दरबारी लाल यादव सुरेन्द्र प्रताप यादव
   

  
 धर्मेन्द्र कुमार यादव

  
 उप निविद  
 अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904008049

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3153 के पृष्ठ 201 से 224 तक क्रमांक 6590 पर दिनांक 09/10/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
प्रदीप कुमार प्र०  
उप निबंधक : सोहावल  
अयोध्या  
09/10/2023





INDIA NON JUDICIAL



118

Government of Uttar Pradesh

IN-UP38742131065849V

e-Stamp

6616



Certificate No. : IN-UP38742131065849V  
 Certificate Issued Date : 10-Oct-2023 04:32 PM  
 Account Reference : NEWIMPACC (SV) up14148004/ SOHAWAL/ UP-FZB  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1414800473090745356943V  
 Purchased by : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Description of Document : Article 23 Conveyance  
 Property Description : GATA NO-101 MAUJA-FIROZPUR UPARHAR PAR-MAGALSI TEH-SOHAWAL DISTT-AYODHYA  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : ANJUM BANO DO MOHD JALEEL AND OTHERS  
 Second Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Stamp Duty Paid By : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 72,730  
 (Seventy Two Thousand Seven Hundred And Thirty only)



Please verify or type below this line

शिवम

महेशशर्मा

पुत्रानुमात्रो अन्वूमखानो

हरनानावा-५

हपचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

0013443550

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate is verified by the user through the e-Stamp Mobile App or the e-Stamp Portal.
2. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
3. The date of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.





PP Image 2023-10-03 at 11:25

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

## विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम -फिरोजपुर उपरहार ÷, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल , अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण- .....

| गाटा संख्या | गाटा की यूनिट आई.डी. | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
|-------------|----------------------|--------------------------|
| 101         | 1662690101000012     | 0.3020                   |

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.0471875 हेक्

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

| गाटा संख्या | विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | पूरब                      | पश्चिम     | उत्तर                   | दक्षिण          |
|-------------|----------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|-----------------|
| 101         | 0.0471875                        | बकमार्ग सीमाग्राम सलारपुर | गा0सं0-100 | सीमाग्राम फतेहपुर सरैया | नाली गा0सं0-102 |

शबनम

महेषशान्नी

छुशानुमाधानों

अनुष्म बानो

दृशीना बानो

उप निबन्धक

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

| गाटा संख्या | विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | विक्रेता का नाम                            | पिता/पति का नाम | विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में) | भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का 4 गुना | प्रतिफल की धनराशि |
|-------------|----------------------------------|--|-----------------|--------------------------------|---|-------------------|
| 1           | 2                                | 3  | 4               |                                | 7   | 8                 |
| 101         | 0.0471875                        | मो० कलीम मुख्तारनामाआम श्रीमती सबनम        | मो० कलीम        | 0.0094375                      | 207625.00                                       | 207625.00         |
|             |                                  | मो० नवीम मुख्तारनामाआम श्रीमती मेहकशा बानो | मो० नदीम        | 0.0094375                      | 207625.00                                       | 207625.00         |
|             |                                  | शुशानमा बानो उर्फ खुशनुमा बानो             | मो० जलील        | 0.0094375                      | 207625.00                                       | 207625.00         |
|             |                                  | अंजुम बानो                                 | मो० जलील        | 0.0094375                      | 207625.00                                       | 207625.00         |
|             |                                  | हसीना बानो                                 | मो० जलील        | 0.0094375                      | 207625.00                                       | 207625.00         |
|             |                                  |  | योग             | 0.0471875                      | 1038125.00                                      | 1038125.00        |

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु. 72730.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण -

| विक्रेता का नाम                            | पिता/पति का नाम | आधार संख्या   | पैन कार्ड संख्या | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता                             |
|--|-----------------|---------------|------------------|--------------|---------|---------------------------------|
| 1  | 2               | 3             | 4                | 5            | 6       | 7                               |
| मो० कलीम मुख्तारनामाआम श्रीमती सबनम        | मो० कलीम        | 422560500865J | JGHP5560M        | 7897152638   | ग्रहणी  | चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या। |
| मो० नवीम मुख्तारनामाआम श्रीमती मेहकशा बानो | मो० नदीम        | 999668311681  |                  | 7307988798   | ग्रहणी  | चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या। |
| शुशानमा बानो उर्फ खुशनुमा बानो             | मो० जलील        | 204905491820  | HNSPB9273A       | 8874488651   | ग्रहणी  | चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या। |
| अंजुम बानो                                 | मो० जलील        | 898930554533  | HNSPB9274H       | 9076821213   | ग्रहणी  | चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या। |
| हसीना बानो                                 | मो० जलील        | 459478526899  |                  | 8953118657   | ग्रहणी  | चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या। |

शबान

महेश्वर

खुशनुमा बानो

उप

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

अंजुम बानो

हसीना बानो



10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण-

| क्रेता का नाम  | पिता/पति का नाम | आधार संख्या | पैन कार्ड संख्या | मोबाइल नम्बर | पदनाम                                   | पता                              |
|--|-----------------|-------------|------------------|--------------|---|----------------------------------|
| 1  | 2               | 3           | 4                | 5            | 6                                       | 7                                |
| अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। | श्री शरद कुमार  |             | AAALA0206<br>C   | 7607778911   | उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। | अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। |

11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 / 1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।

शरद कुमार

भद्रकक्षा वानो

कुशानुमा वानो

उपसचिव

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

उमेश्वर वानो

हरश्री वानो



- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

12- भुगतान का विवरण -

| क्र 0 | विक्रेता का नाम                               | पिता/पति का नाम | बैंक का नाम / शाखा का नाम           | IFSC Code   | खाता संख्या    | धनराशि     |
|-------|---|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------|------------|
| 1     | 2   | 3               | 4                                   | 5           | 6              | 7          |
| 1     | मो० कलीम मुख्तारनामा आम श्रीमती सचनन          | मो० कलीम        | बड़ौदा यू०पी० ग्रामीण बैंक अयोध्या। | BARB0BUPGBX | 55300100006040 | 207625.00  |
| 2     | मो० नदीम मुख्तारनामा आम श्रीमती मेहकशां बानों | मो० नदीम        | बड़ौदा यू०पी० ग्रामीण बैंक अयोध्या। | BARB0BUPGBX | 55300100013270 | 207625.00  |
| 3     | शुशानामा बानों उर्फ खुरानुमा बानों            | मो० जलील        | बड़ौदा यू०पी० ग्रामीण बैंक अयोध्या। | BARB0BUPGBX | 55060100015853 | 207625.00  |
| 4     | आजुम बानों                                    | मो० जलील        | बड़ौदा यू०पी० ग्रामीण बैंक अयोध्या। | BARB0BUPGBX | 55300100009581 | 207625.00  |
| 5     | हसीना बानों                                   | मो० जलील        | बड़ौदा यू०पी० ग्रामीण बैंक अयोध्या। | BARB0BUPGBX | 55300100018777 | 207625.00  |
|       |   |                 |                                     | Total-      |                | 1038125.00 |

कुल धनराशि शब्दों में- ( दस लाख अड़तीस हजार एक सौ पचीस रुपये मात्र)

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा। प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

शुशानामा बानों उर्फ खुरानुमा बानों  
 अजुम बानों  
 हसीना बानों  
 उपस्थित  
 विकास प्राधिकरण, अयोध्या  
 हसीना बानों

1000



1000

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दौ गवोहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण :-  
हस्ताक्षर



| नाम       | पिता/पति का नाम    | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता                              |
|-----------|--------------------|--------------|---------|----------------------------------|
| ओम प्रकाश | स्यो राजबली प्रसाद | 7807778903   | नौकरी   | अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। |

द्वितीय साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

| नाम         | पिता/पति का नाम | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता                             |
|-------------|-----------------|--------------|---------|---------------------------------|
| राजनीश यादव | राम वीरज यादव   | 7068006310   | मजदूरी  | चिरत मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या। |



शासनादेश संख्या -राजस्व अनुभाग -13 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी /भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात भूस्वामी कहा गया है) और:

19/03/15  
महेशशास्त्री  
सुब्रह्मण्यम्  
उपस्थित  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या  
हस्ताक्षर

100  
100  
100



द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात् क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित / निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है। और चूंकि भूस्वामी अग्रतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित मूयद्ध कोई बात या मूयद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-

- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रिय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्तः और पृथकतः) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।
- (6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन

१/१०/११

अधिकारी श्री सुकानुमा बाने

उपनिवेश  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

अनुमोदन

१/१०/११



सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।

-8-

- (7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।  
 (8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।  
 (i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।  
 (ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।  
 (iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

### अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

| खाता सं०                      | खसरा सं०                                 | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)         | भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (घारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए) | भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में) | भूमि पर खड़ी फसल                |  |
|-------------------------------|--|----------------------------------|---|--|---------------------------------|--|
|                               |  |                                  |   |  | विवरण                           | मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में) |
| 01                            | 02                                       | 03                               | 04  | 05   | 06                              | 07                                     |
| 0072                          | 101                                      | 0.0471875                        |   | 1038125.00                                     | -                               | -                                      |
| भूदत्त अन्य सम्पत्ति का विवरण |  | वेय कुल मूल्य (योग शैलम-5, 7, 9) | व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनकी देय है और उनका परिमाण   |  |                                 |  |
| विवरण                         | मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में) |                                  | नाम   | पिता/पति का नाम                                | पता                             |  |
| 08                            | 09                                       | 10                               | 11  |  |                                 |  |
|                               |  | 1038125.00                       | मो० कलीम मुख्तारनामाआम श्रीमती शबनम   | मो० कलीम                                       | घिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या। |  |
|                               |  |                                  | मो० नदीम मुख्तारनामाआम श्रीमती नेहकशा बानो  | मो० नदीम                                       | घिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या। |  |
|                               |  |                                  | सुखनामा बानो उर्फ खुरानुमा बानो   | मो० जलील                                       | घिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या। |  |
|                               |  |                                  | अंजुम बागो  | मो० जलील                                       | घिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या। |  |
|                               |  |                                  | हसीना बानो  | मो० जलील                                       | घिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या। |  |

शफनम

नेहकशाबानो

खुरानुमा बानो

अंजुम बागो

उप सचिव

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

हसीना बानो

आवेदन सं०: 202300904008054

विक्रय पत्र

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6616

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 1038125 स्टाम्प शुल्क- 72730 बाजारी मूल्य - 1039000 पंजीकरण शुल्क - 10390 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग: 10470

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा  
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,  
पुत्र श्री शरद कुमार  
व्यवसाय: नौकरी  
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या



स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/  
प्रतिनिधि

श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 10/10/2023 एवं  
05:38:45 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र०  
उप निबंधक :सोहावल  
अयोध्या  
10/10/2023

निबंधक लिपिक  
10/10/2023

प्रिंट करें



नोट :- मैने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

- भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

| क्र० सं० | नाम  | पिता/पति का नाम | पता                                | हस्ताक्षर    |
|----------|--|-----------------|------------------------------------|--------------|
| 1        | 2  | 3               | 4                                  | 5            |
| 1        | मो० कलीम<br>मुख्तारनामाआम श्रीमती<br>शबनम        | मो० कलीम        | चिरा मोहम्मदपुर सोहावल<br>अयोध्या। | शबनम         |
| 2        | मो० नदीम<br>मुख्तारनामाआम श्रीमती<br>नेहकरा बानो | मो० नदीम        | चिरा मोहम्मदपुर सोहावल<br>अयोध्या। | नेहकरा बानो  |
| 3        | शुशनामा दानो उर्फ<br>खुशनुमा बानो                | मो० जलील        | चिरा मोहम्मदपुर सोहावल<br>अयोध्या। | खुशनुमा बानो |
| 4        | अन्जुम बानो                                      | मो० जलील        | चिरा मोहम्मदपुर सोहावल<br>अयोध्या। | अन्जुम बानो  |
| 5        | हसीना बानो                                       | मो० जलील        | चिरा मोहम्मदपुर सोहावल<br>अयोध्या। | हसीना बानो   |

गवाह / अभिसाक्षी

| नाम       | पिता/पति का नाम    | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता                              | हस्ताक्षर |
|-----------|--------------------|--------------|---------|----------------------------------|-----------|
| 1         | 2                  | 3            | 4       | 5                                | 6         |
| ओम प्रकाश | स्व० राजबली प्रसाद | 7607778903   | नौकरी   | अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। |           |

शबनम

नेहकरा बानो

खुशनुमा बानो

अन्जुम बानो

हसीना बानो

उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान  
पहचानकर्ता : 1

श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबली प्रसाद

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता : 2



श्री रजनीश यादव, पुत्र श्री राम धीरज यादव

निवासी: चिरा मोहम्मदपुर तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

Rajhesh Yadav



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र०

उप निबंधक : सोहावल

अयोध्या

10/10/2023

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए  
गए हैं।  
टिप्पणी:

निबंधक लिपिक अयोध्या

10/10/2023

प्रिंट करें



गवाह / अभिसाक्षी

| नाम        | पिता/पति का नाम | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता                             | हस्ताक्षर      |
|------------|-----------------|--------------|---------|---------------------------------|----------------|
| 1          | 2               | 3            | 4       | 5                               | 6              |
| रजनीश यादव | राम धीरज यादव   | 7068006310   | मजदूरी  | चिरा मोहम्मदपुर सोडावल अयोध्या। | Rajneesh Yadav |

क्रय निकाय की ओर से अधिकृत,  
(स्वर्णिम राज)  
उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण,  
अयोध्या।

शबनम



महेकशाखात्री



एशुगानुमाबानो



अन्जुम बानो



हरीनाथानो



उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904008054

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6616

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त विक्रेता: 1

श्रीमती मो कलीम के द्वारा शबनम, पत्नी श्री मो कलीम

निवासी: चिरामोहम्मदपुर तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: गृहिणी शबनम

विक्रेता: 2



श्रीमती मो नदीम के द्वारा मेहकशा बानो, पत्नी श्री मो नदीम

निवासी: चिरामोहम्मदपुर तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: गृहिणी मेहकशा बानो

विक्रेता: 3



श्रीमती शुशानमा बानो उर्फ खुशनुमा बानो, पुत्री श्री मो जलील

निवासी: चिरामोहम्मदपुर तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: गृहिणी खुशनुमा बानो

विक्रेता: 4



श्रीमती अंजुम बानो, पुत्री श्री मो जलील

निवासी: चिरामोहम्मदपुर तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: गृहिणी अंजुम बानो

विक्रेता: 5



श्रीमती हसीना बानो, पुत्री श्री मो जलील

निवासी: चिरामोहम्मदपुर तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: गृहिणी हसीना बानो

विक्रेता: 6



श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा खण्णिम राज, पुत्र श्री शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी



हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समय विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु धयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- किरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातोदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

| गाटा सं० | विक्रेता का नाम                            | पिता/पति का नाम | विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल | शपथकर्ता के हस्ताक्षर |
|----------|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1        | 2  | 3               | 4                                 | 5                     |
| 101      | मो० कलीम मुख्तारनामाआम श्रीमती शबनम        | मो० कलीम        | 0.0094375                         | शबनम                  |
|          | मो० नदीम मुख्तारनामाआम श्रीमती मेहकशा बानो | मो० नदीम        | 0.0094375                         | मेहकशा बानो           |
|          | सुरानामा बानो उर्फ सुरानुमा बानो           | मो० जलील        | 0.0094375                         | सुरानुमा बानो         |
|          | अब्दुम बानो                                | मो० जलील        | 0.0094375                         | अब्दुम बानो           |
|          | हसीना बानो                                 | मो० जलील        | 0.0094375                         | हसीना बानो            |

निष्पादन का दिनांक:-

स्थान - सोहावल, अयोध्या

जोड़ मो० कलीम मुख्तारनामाआम द्वारा मो० जलील द्वारा मुख्तारनामाआम वही सं० 4 जिल्द सं० 27 के पृष्ठ सं० 55 से 62 तक क्षेत्रफल 0.0094375 का शपथपत्र 18/8/2023 को शपथपत्र के साथ किया गया है।  
 व मो० नदीम मुख्तारनामाआम द्वारा सुरानामा बानो उर्फ सुरानुमा बानो वही सं० 4 जिल्द सं० 27 के पृष्ठ सं० 63 से 68 तक क्षेत्रफल 0.0094375 का शपथपत्र 18/8/2023 को शपथपत्र के साथ किया गया है।

शबनम

मेहकशा बानो

सुरानुमा बानो

उपस्थित

अयोध्या निवास प्रतिनिधि, अयोध्या

अब्दुम बानो

हसीना बानो

आवेदन सं०: 202300904008054

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3154 के पृष्ठ 255 से 276 तक क्रमांक  
6616 पर दिनांक 10/10/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



प्रदीप कुमार प्र०  
उप निबंधक : सोहावल  
अयोध्या  
10/10/2023













INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP375839845614487



119

e-Stamp

6640

Certificate No. : IN-UP375839845614487  
 Certificate Issued Date : 09-Oct-2023 04:46 PM  
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/up14148004/ SOHAWAL/ UP-FZB  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1414800470766546988065V  
 Purchased by : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Description of Document : Article 23 Conveyance  
 Property Description : GATA NO-257 MAUJA-FIROZPUR UPARHAR PAR-MAGALSI TEH-SOHAWAL DISTT-AYODHYA  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : ALOK SINGH SO SUBHASH SINGH AND OTHERS  
 Second Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Stamp Duty Paid By : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 32,060  
 (Thirty Two Thousand And Sixty only)



Please write or type below this line

आलोक सिंह

सरिता सिंह

Abayn...

उप-निर्देशक

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

TRD 0013443536

Statutory Note:

1. The authenticity of the Stamp certificate should be verified at [www.stamptamp.com](http://www.stamptamp.com) or using a Stamp Mobile App of Stamp Nothing. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The duty of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



आलोक स्टि



अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

## विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु अधिनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम -फिरोजपुर उपरहार ÷, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल , अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण- .....

|             |                      |                          |
|-------------|----------------------|--------------------------|
| गाटा संख्या | गाटा की यूनिट आई.डी. | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
| 257         | 1662690257000012     | 0.1040                   |

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.0208 हेक्

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

| गाटा संख्या | विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | पूरब                        | पश्चिम          | उत्तर      | दक्षिण     |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------------|
| 257         | 0.0208                           | चक्रमार्ग सीमाग्राम सलारपुर | नाली गा0सं0-268 | गा0सं0-256 | गा0सं0-258 |

आलोक स्टि

सरिता सिंह



उप निबन्धक  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

| गाटा संख्या | विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | विक्रेता का नाम | पिता/पति का नाम | विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में) | भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का 4 गुना | प्रतिफल की धनराशि |
|-------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---|-------------------|
| 1           | 2                                | 3               | 4               |                                | 7   | 8                 |
| 257         | 0.0208                           | आलोक सिंह       | सुनाम सिंह      | 0.006933                       | 152526.00                                       | 152526.00         |
|             |                                  | सरिता सिंह      | सुभाष सिंह      | 0.006933                       | 152526.00                                       | 152526.00         |
|             |                                  | भगवत सिंह       | सुभाष सिंह      | 0.006933                       | 152526.00                                       | 152526.00         |
|             |                                  |                 | योग             | 0.0208                         | 457578.00                                       |                   |

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु. 32060.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण - .....

| विक्रेता का नाम | पिता/पति का नाम | आधार संख्या  | पैन कार्ड संख्या | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता                                     |
|-----------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|---------|---|
| 1               | 2               | 3            | 4                | 5            | 6       | 7                                       |
| आलोक सिंह       | सुनाम सिंह      | 933606894214 |                  | 9026464068   | कृषि    | सलारपुर चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या। |
| सरिता सिंह      | सुभाष सिंह      | 744632901295 |                  | 9026464068   | ग्रहणी  | सलारपुर चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या। |
| भगवत सिंह       | सुभाष सिंह      | 810943515047 |                  | 8318847313   | कृषि    | सलारपुर चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या। |

आलोक सिंह

सरिता सिंह

भगवत सिंह



उपनिवेश  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण- .....

| क्रेता नाम   | का | पिता/पति का नाम | आधार संख्या | पैन कार्ड संख्या | मोबाइल नम्बर | पदनाम                                   | पता                              |
|--|----|-----------------|-------------|------------------|--------------|---|----------------------------------|
| 1  | 2  | 3               | 4           | 5                | 6            | 7                                       | 8                                |
| अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। |    | श्री शरद कुमार  |             | AAALA0206<br>C   | 7607778911   | उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। | अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। |

11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 / 1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियो और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।

आलोक सिंह

सौरासिंह



उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



- अ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ब- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

12- भुगतान का विवरण -

| क्र० | विक्रेता का नाम | पिता/पति का नाम | बैंक का नाम / शाखा का नाम            | IFSC Code   | खाता संख्या    | धनराशि    |
|------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|----------------|-----------|
| 1    | 2               | 3               | 4                                    | 5           | 6              | 7         |
| 1    | आलोक सिंह       | सुभाष सिंह      | बड़ीदा यू.पी० प्रांतीय बैंक अयोध्या। | BARB0BUPGBX | 55300100008491 | 152526.00 |
| 2    | सरिता सिंह      | सुभाष सिंह      | बड़ीदा यू.पी० प्रांतीय बैंक अयोध्या। | BARB0BUPGBX | 55300100016992 | 152526.00 |
| 3    | मंगल सिंह       | सुभाष सिंह      | स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया                | SBIN0000075 | 33202486789    | 152526.00 |


कुल धनराशि शब्दों में- (चार लाख पच्चीस हजार पाँच सौ अठ्ठहत्तर रुपये मात्र)

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा। प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता जो त्रुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है। इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो गवोहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

आलोक सिंह

सरिता सिंह



उपस्थित  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण :-  
हस्ताक्षर



| नाम       | पिता/पति का नाम    | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता                              |
|-----------|--------------------|--------------|---------|----------------------------------|
| ओम प्रकाश | स्व0 राजदली प्रसाद | 7607778903   | नौकरी   | अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। |

द्वितीय साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

| नाम          | पिता/पति का नाम | मोबाइल नम्बर  | व्यवसाय | पता                              |
|--------------|-----------------|---------------|---------|----------------------------------|
| शैलेश चोपड़ा | इ.प्रसाद चोपड़ा | कॉ. 68934 509 | सेवाधी  | अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। |



शासनादेश संख्या -राजस्व अनुभाग -13 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी /भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात भूस्वामी कहा गया है) और:

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है। और चूंकि भूस्वामी अग्रतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवद्ध कोई बात या भूवद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय

आलीक सिंह

सरिता सिंह

उप सचिव

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या





निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है-

- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रिय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्त: और पृथकत:) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।
- (6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।
- (7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
- (8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।
- (i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।

आलोक सिंह सिराहा

भूस्वामी

उप निवेदक

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904008035

विक्रय पत्र

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6640

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 457578 स्टाम्प शुल्क- 32060 बाजारी मूल्य - 458000 पंजीकरण शुल्क - 4580 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग: 4640

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा  
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,  
पुत्र श्री शरद कुमार  
व्यवसाय: नौकरी  
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या



स्वर्णिम राज अधिकृत  
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

श्री. अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 11/10/2023 एवं  
04:59:18 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र०  
उप निबंधक :सोहावल  
अयोध्या  
11/10/2023

निबंधक लिपिक  
11/10/2023

प्रिंट करे

- (ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।  
 (iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

### अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

| खाता सं०                    | खसरा सं०                                 | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए) | भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)                  | भूमि पर खड़ी फसल |   |
|-----------------------------|--|--------------------------|---|---|------------------|---|
|                             |  |                          |   |   | विवरण            | मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)  |
| 01                          | 02                                       | 03                       | 04  | 05  | 06               | 07                                      |
| 0040                        | 257                                      | 0.0208                   |   | 457578.00   | -                | -                                       |
| मूखद अन्य सम्पत्ति का विवरण |  |                          | देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)  | व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण |                  |   |
| विवरण                       | मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में) |                          |   | नाम   | पिता/पति का नाम  | पता                                     |
| 08                          | 09                                       |                          | 10  | 11  |                  |   |
|                             |  |                          | 457578.00   | आलोक सिंह   | सुभाष सिंह       | सलारपुर चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या। |
|                             |  |                          |   | सरिता सिंह  | सुभाष सिंह       | सलारपुर चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या। |
|                             |  |                          |   | मगवत सिंह   | सुभाष सिंह       | सलारपुर चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या। |

नोट :- मैंने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

- भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

आलोक सिंह

सरिता सिंह

Shangiraj



उप सचिव  
अनौपचारिक विकास प्राधिकरण, अयोध्या

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



प्रदीप कुमार प्र०  
उप निबंधक ; सोहावल  
अयोध्या  
11/10/2023

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार  
लिए गए हैं।  
टिप्पणी :

...  
निबंधक लिपिक अयोध्या  
11/10/2023

प्रिंट करे

| क्र० सं० | नाम        | पिता/पति का नाम | पता                                  | हस्ताक्षर  |
|----------|------------|-----------------|--------------------------------------|------------|
| 1        | 2          | 3               | 4                                    | 5          |
| 1        | आलोक सिंह  | सुभाष सिंह      | सलारपुर विरा मोहनपुर सोहावल अयोध्या। | आलोक सिंह  |
| 2        | सरिता सिंह | सुभाष सिंह      | सलारपुर विरा मोहनपुर सोहावल अयोध्या। | सरिता सिंह |
| 3        | भगवत सिंह  | सुभाष सिंह      | सलारपुर विरा मोहनपुर सोहावल अयोध्या। | भगवत सिंह  |

गवाह / अभिसाक्षी

| नाम       | पिता/पति का नाम    | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता                              | हस्ताक्षर |
|-----------|--------------------|--------------|---------|----------------------------------|-----------|
| 1         | 2                  | 3            | 4       | 5                                | 6         |
| ओम प्रकाश | स्व० राजबली प्रसाद | 7607778903   | नौकरी   | अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। |           |

गवाह / अभिसाक्षी

| नाम | पिता/पति का नाम | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता | हस्ताक्षर |
|-----|-----------------|--------------|---------|-----|-----------|
| 1   | 2               | 3            | 4       | 5   | 6         |
|     |                 |              |         |     |           |

क्रय निकाय की ओर से अधिकृत,  
(स्वर्णिम राज)  
उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण,  
अयोध्या।

आलोक सिंह सरिता सिंह

भगवत सिंह



उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6640

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त  
विक्रेता: 1

श्री आलोक सिंह, पुत्र श्री सुभाष सिंह

निवासी: सलारपुर विरामोहम्मदपुर तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 2

आलोक सिंह



श्रीमती सरिता सिंह, पुत्री श्री सुभाष सिंह

निवासी: सलारपुर विरामोहम्मदपुर तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: गृहिणी

विक्रेता: 3

सरिता सिंह




श्री भगवत सिंह, पुत्र श्री सुभाष सिंह

निवासी: सलारपुर विरामोहम्मदपुर तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 1

भगवत सिंह



श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री  
शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिन्होंने पहचान  
पहचानकर्ता: 1



श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबली प्रसाद

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2

ओम प्रकाश



श्री शैलेन्द्र यादव, पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद यादव

निवासी: विरामोहम्मदपुर तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

शैलेन्द्र यादव



शैलेन्द्र यादव

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

| गाटा सं० | विक्रेता का नाम | पिता/पति का नाम | विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल | शपथकर्ता के हस्ताक्षर |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1        | 2               | 3               | 4                                 | 5                     |
| 257      | आलोक सिंह       | सुभाष सिंह      | 0.006933                          | आलोक सिंह             |
|          | सरिता सिंह      | सुभाष सिंह      | 0.006933                          | सरिता सिंह            |
|          | भगवत सिंह       | सुभाष सिंह      | 0.006933                          | भगवत सिंह             |

निष्पादन का दिनांक:- 11/10/2023  
स्थान - सोहावल, अयोध्या।

आलोक सिंह  
सरिता सिंह

भगवत सिंह

उपस्थित  
अधिकृत विकास अधिकारी, सोहावल

आवेदन सं०: 202300904008035

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3155 के पृष्ठ 145 से 164 तक क्रमांक  
6640 पर दिनांक 11/10/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
प्रदीप कुमार प्र०  
उप निबंधक ; सोहावल  
अयोध्या  
11/10/2023



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh



IN-UP40930119180403V



e-Stamp

Certificate No. : IN-UP40930119180403V

Certificate Issued Date : 12-Oct-2023 03:49 PM

Account Reference : NEWIMPACC (SV) up14148004/ SOHAWAL/ UP-FZB

Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1414800470514365178031V

Purchased by : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA

Description of Document : Article 23 Conveyance

Property Description : GATA NO-232 MIN MAUJA-FIROZPUR UPARHAR PAR-MAGALSI-TEH-SOHAWAL DS/TT-AYODHYA

Consideration Price (Rs.) :

First Party : RITA GUPTA WO GOPAL JI GUPTA AND OTHERS

Second Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA

Stamp Duty Paid By : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA

Stamp Duty Amount(Rs.) : 2,59,490  
(Two Lakh Fifty Nine Thousand Four Hundred And Ninety only)



Please write or type below this line

रीता गुप्ता



[Signature]



[Signature]  
उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

0013443572

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at [www.e-stampstamp.com](http://www.e-stampstamp.com) using e-Stamp Mobile App or e-Stamp Printing. Any discrepancy or any delay on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it void.
2. The duty of checking the authenticity is on the user of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.





Image 2023-10-03 at 11.2

-2-

अयोध्या विकास प्राधिकरण

## विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु पशुपति कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम - फिरोजपुर उपरहार +, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल, अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण- .....

|             |                      |                          |
|-------------|----------------------|--------------------------|
| गाटा संख्या | गाटा की यूनिट आई.डी. | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
| 232 मि०     | 1662690232000012     | 0.3520                   |

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.1685 हेक्टेयर

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी-

| गाटा संख्या | विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | पूरब                 | पश्चिम                      | उत्तर                 | दक्षिण                  |
|-------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 232 मि०     | 0.1685                           | नाली गाटा संख्या-233 | मुख्य मार्ग गाटा संख्या-230 | गाटा संख्या-231 व 233 | चकमार्ग गाटा संख्या-242 |

शीता उद्वा



Handwritten signature of the buyer.



उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



111

7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

| गाटा संख्या | विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | विक्रेता का नाम  | पिता/पति का नाम      | विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में) | भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का (रु० हेक्टेयर) (सकिल दर का 4 गुना) | प्रतिफल की धनराशि |
|-------------|----------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|---|-------------------|
| 1           | 2                                | 3                | 4                    |                                | 7   | 8                 |
| 232 मि०     | 0.1685                           | रीता गुप्ता      | गोपाल जी गुप्ता      | 0.08425                        | 1853500.00  | 1853500.00        |
|             |                                  | राज कुमार गुप्ता | ब्रह्म प्रसाद गुप्ता | 0.08425                        | 1853500.00  | 1853500.00        |
|             |                                  |                  | योग-                 | 0.1685                         | 3707000.00  | 3707000.00        |

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु० 2,59,490.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण -

| विक्रेता का नाम  | पिता/पति का नाम      | आधार संख्या    | पैन कार्ड संख्या | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता                                 |
|------------------|----------------------|----------------|------------------|--------------|---------|-------------------------------------|
| 1                | 2                    | 3              | 4                | 5            | 6       | 7                                   |
| रीता गुप्ता      | गोपाल जी गुप्ता      | 499523369261   | ALSPR0722M       | 7007313859   | कृषि    | खीर वाली गली, फतेहगंज, अयोध्या      |
| राज कुमार गुप्ता | ब्रह्म प्रसाद गुप्ता | 6174 8063 3741 | DAWPR3124R       | 9415719439   | कृषि    | बजौरगंज (केवटहिया) सल बाग, अयोध्या। |

10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण-

| क्रेता का नाम  | पिता/पति का नाम | आधार संख्या | पैन कार्ड संख्या | मोबाइल नम्बर | पदनाम                                   | पता                              |
|--|-----------------|-------------|------------------|--------------|---|----------------------------------|
| 1  | 2               | 3           | 4                | 5            | 6                                       | 7                                |
| अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज, उपसचिव, अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। | श्री शरद कुमार  | -           | AAALA02 06C      | 7607778911   | उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। | अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। |

रीता गुप्ता



Tan




उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 / 1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।
- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

शीला गुप्ता



उप-सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



100



## 12- भुगतान का विवरण -

| क्र<br>0 | विक्रेता<br>का नाम  | पिता/पति<br>का नाम      | बैंक का नाम/<br>शाखा का नाम          | IFSC Code       | खाता संख्या     | धनराशि            |
|----------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1        | 2                   | 3                       | 4                                    | 5               | 6               | 7                 |
| 1        | रीता गुप्ता         | गोपाल जी<br>गुप्ता      | IMPERIAL<br>URBAN CO-OP<br>Bank Ltd. | VESB00UCB0<br>1 | 001000830601    | 1853500.00        |
| 2        | राज कुमार<br>गुप्ता | ब्रह्म प्रसाद<br>गुप्ता | BANK OF INDIA                        | BKID0006880     | 688010110013156 | 1853500.00        |
|          |                     |                         |                                      | <b>Total :</b>  |                 | <b>3707000.00</b> |

## कुल धनराशि शब्दों में- ( सैंतीय लाख सात हजार रुपये मात्र )

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिकूल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो गवोहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

रीता गुप्ता




अनूप कुमार  
अनूप कुमार प्राधिकरण, अयोध्या



5



## 14- साक्षी गण

## प्रथम साक्षी विवरण :-

## हस्ताक्षर

| नाम       | पिता/पति का नाम    | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता                              |
|-----------|--------------------|--------------|---------|----------------------------------|
| ओम प्रकाश | स्व० राजबली प्रसाद | 7607778903   | नौकरी   | अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। |

## द्वितीय साक्षी विवरण :-

## हस्ताक्षर

| नाम         | पिता/पति का नाम | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता                             |
|-------------|-----------------|--------------|---------|---------------------------------|
| सौरभ गुप्ता | गोपाल जी गुप्ता | 7007313859   | कृषि    | खीर वाली गली, फतेहगंज, अयोध्या। |



शासनादेश संख्या -राजस्व अनुभाग -13 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी /भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात

प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात भूस्वामी कहा गया है) और:

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तदपश्चात क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।

और चूंकि भूस्वामी अग्रतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवद्ध कोई बात या भूवद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेंगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-

श्रीता गुप्ता



सौरभ गुप्ता



उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

100



- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रिय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्तः और पृथकतः) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके भोश धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।
- (6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।
- (7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
- (8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।
  - (i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।
  - (ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
  - (iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

श्रीता सुधा



अध्यक्ष विकास प्राधिकरण, काशी-221001

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6663

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 3707000 स्टाम्प शुल्क- 259490 बाजारी मूल्य - 3707000 पंजीकरण शुल्क - 37070 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 37130

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा  
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,  
पुत्र श्री शरद कुमार  
व्यवसाय : नौकरी  
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या



स्वर्णिम राज अधिकृत  
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 12/10/2023 एवं  
04:42:47 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र०  
उप निबंधक : सौदागल  
अयोध्या  
12/10/2023

निबंधक लिपिक  
12/10/2023

प्रिंट करे



## अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

| खाता सं० | खसरा सं० | विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए) | भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में) | भूमि पर खड़ी फसल |  |
|----------|----------|----------------------------------|---|--|------------------|--|
|          |          |                                  |   |  | विवरण            | मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में) |
| 01       | 02       | 03                               | 04  | 05   | 06               | 07                                     |
| 50       | 232 कि०  | 0.1685                           | -   | 3707000.00                                     | -                | -                                      |

| भूयुद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण |  | देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9) | व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण |                      |                                      |
|--------------------------------|--|----------------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|
| विवरण                          | मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में) |                                  | नाम   | पिता/पति का नाम      | पता                                  |
| 08                             | 09                                       | 10                               | 11  |                      |                                      |
| -                              | -  | 1853500.00                       | रीता गुप्ता   | गोपाल जी गुप्ता      | चीर वाली गली, फतेहगंज, अयोध्या       |
| -                              | -  | 1853500.00                       | राज कुमार गुप्ता  | ब्रह्म प्रसाद गुप्ता | बजीरबज (कैमटोडिया) साल बाग, अयोध्या। |

नोट :- मैंने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

रीता गुप्ता




  
राज कुमार गुप्ता

उपस्थित  
अयोध्य विकास प्राधिकरण, अयोध्या

वा. पारम गुप्ता, पुन. का. संख्या. ५० गुप्ता

निवासी: खील वाली गली, फतेहगंज अयोध्या

व्यवसाय: कृषि



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

*प्रदीप कुमार प्र०*

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

दिप्पणी :

प्रदीप कुमार प्र०  
उप निबंधक : सोहावल  
अयोध्या  
12/10/2023

*A*  
निबंधक लिपिक अयोध्या  
12/10/2023

प्रिंट करें



• भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

| क्र० सं० | नाम              | पिता/पति का नाम      | पता                                   | हस्ताक्षर   |
|----------|------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|
| 1        | 2                | 3                    | 4                                     | 5           |
| 1        | रीता गुप्ता      | गोपाल जी गुप्ता      | खीर वाली गली, फतेहगंज, अयोध्या        | रीता गुप्ता |
| 2        | राज कुमार गुप्ता | ब्रह्म प्रसाद गुप्ता | बजीरगंज (कैक्टडिया) लाल बाग, अयोध्या। |             |

गवाह / अभिसाक्षी

| नाम       | पिता/पति का नाम    | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता                              | हस्ताक्षर |
|-----------|--------------------|--------------|---------|----------------------------------|-----------|
| 1         | 2                  | 3            | 4       | 5                                | 6         |
| ओम प्रकाश | स्व० राजबलौ प्रसाद | 7607778903   | नौकरी   | अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। |           |

गवाह / अभिसाक्षी

| नाम           | पिता/पति का नाम | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता                             | हस्ताक्षर |
|---------------|-----------------|--------------|---------|---------------------------------|-----------|
| 1             | 2               | 3            | 4       | 5                               | 6         |
| श्रीरम गुप्ता | गोपाल जी गुप्ता | 7007313859   | कृषि    | खीर वाली गली, फतेहगंज, अयोध्या। |           |



रीता गुप्ता



क्रय निकाय की ओर से अधिकृत,  
(स्वर्णिम राज)  
उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण,  
अयोध्या।

उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6663

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त  
विक्रेता: 1

श्रीमती रीता गुप्ता, पत्नी श्री गोपाल जी गुप्ता

निवासी: खीर वाली गली, फतेहगंज अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

रीता गुप्ता



विक्रेता: 2

श्री राज कुमार गुप्ता, पुत्र श्री ब्रह्म प्रसाद गुप्ता

निवासी: वजीरगंज लाल बाग, अयोध्या

व्यवसाय: कृषि

Raj Kumar




क्रेता: 1

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री  
शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनके पहचान  
पहचानकर्ता: 1

श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबली प्रसाद

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2



Handwritten signature

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

| गाटा सं० | विक्रेता का नाम  | पिता/पति का नाम      | विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल | शपथकर्ता के हस्ताक्षर |
|----------|------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1        | 2                | 3                    | 4                                 | 5                     |
| 232 मि०  | रीता गुप्ता      | गोपाल जी गुप्ता      | 0.08425                           | रीता गुप्ता           |
|          | राज कुमार गुप्ता | ब्रम्ह प्रसाद गुप्ता | 0.08425                           | [Signature]           |

निष्ठादन का दिनांक:- 12/10/23  
स्थान - सोहावल, अयोध्या।

रीता गुप्ता  
[Fingerprint] [Signature]

[Signature]  
उप सचिव  
जनसंघ विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904008043

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3156 के पृष्ठ 101 से 120 तक क्रमांक  
6663 पर दिनांक 12/10/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



प्रदीप कुमार प्र०  
उप निबंधक : सोहावल  
अयोध्या  
12/10/2023

